

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)
ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2024
**RAJENDRA TIWARI
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS
PAPER BOOK INDEX****

Sl. No.	Description of Documents with Annexure No.	PAGE NO.
1.	Memo of the Original Application with synopsis and chronology of events.	1-17
2.	Affidavit in support of Original Application.	18
3.	DOCUMENTS :	
(a)	ANNEXURE – A/1 Photo copy of order dated 21/11/1961.	19-20
(b)	ANNEXURE – A/2 Photo copy of Notification dated 22/09/1980.	21-22
(c)	ANNEXURE – A/3 Photo copy of Notification dated 08/03/2019.	23-38
(d)	ANNEXURE – A/4 Photocopy of relevant Jamabandi.	39-45
(e)	ANNEXURE – A/5 Photocopies of relevant revenue record.	46
(f)	ANNEXURE – A/6 Photocopies of relevant Jambandi and other record.	47-51
(g)	ANNEXURE – A/7 Photocopy of Complaint dated 03/04/2023.	52-58
(h)	ANNEXURE – A/8 Photocopy of letter dated 25/04/2023.	59
(i)	ANNEXURE – A/9 Photocopy of Notice dated 02/05/2023.	60-61
(j)	ANNEXURE – A/10 Photocopy of letter dated 05/05/2023.	62
(k)	ANNEXURE – A/11 Photocopy of Second Notice dated 24/05/2023.	63-64
(l)	ANNEXURE – A/12 Photocopy of factual report dated 14/06/2023.	65-68
(m)	ANNEXURE – A/13 Photocopies of reminders.	69-99
6.	Affidavit in support of documents.	100
7.	Vakalatnama.	101

COUNSEL FOR THE APPLICANT

[*Dr. Rishabh Sharma*]
R/895/2000
Adv.

Rishabh

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

(M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2024

RAJENDRA TIWA ~~vs~~

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS

COMPILATION-1

S.No.	Particulars of Documents	Annexures	Page No.
1	Memorandum of application along with synopsis and chronology of events.		1-17
2	Affidavit		18

PLACE: BHOPAL

DATED: 01/12/24

Adil

18 Counsel for Applicant
(Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy)
Advocates
Add- Chamber No. 178, Old Bldg.,
Rajasthan High Court, Bench Jaipur at
Jaipur (Raj)
E-mail: advocatekrishana@gmail.com
Mob.- 9982765049

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2024

RAJENDRA TIWARI
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS
SYNOPSIS

- i. That Applicant had submitted detailed complaint to respondents on 03/04/2023 and stated that private respondent is operating commercial establishment upon reserved forest land situated in Old Khasra No. 932/1 of Village Amer and New Khasra No. 4353 of Village Amer and said Khasra got originated from Old Khasra No.932/2 of Village Amer, which does not stand in revenue records, and thus initial Khasra No.932/1 got divided in Sub Khasra No.932/2 and the new khasras of old khasra no. 932/1 are Khasra No's 4354, 4355 and 4356 of Village Amer and New Khasra of Old Khasra No. 932/2 is New Khasra No. 4353 of Village Amer and said land of New Khasra No. 4353 is found to be recorded in the name of Jaipur Development Authority, which is violation of Section 2 of Forest Conservation Act, 1980 and as such it has been apprised by revenue authorities that no record is available qua the old khasra no.932/2 of village Amer and thus said Khasra is false and fabricated in nature.
- ii. That Assistant Conservator of Forests Nahargarh had prepared comprehensive factual report on 14/06/2023 after considering and analyzing the issue and arrived at the conclusion that impugned commercial establishment is multi-storey building and falls within the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary and situated upon reserved forest land of Old Khasra No.932/1 of Village Amer and he also stated that there are divisions and sub-divisions of said Khasra and there are complete violations of environmental laws.
- iii. That Applicant had submitted various reminders to the respondents but no action has been taken so far and he submitted last reminder on 08/11/2024 but no action is being taken by the respondents.
- iv. Hence this Original Application.


COUNSEL FOR THE APPLICANT



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL**

(M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2024

RAJENDRA TIWARI

VERSUS

UNION OF INDIA AND OTHERS

CHRONOLOGICAL EVENTS

S.No.	DATES	EVENTS
1	03/04/2023	That Applicant had submitted detailed complaint to respondents on 03/04/2023 and stated that private respondent is operating commercial establishment upon reserved forest land situated in Old Khasra No. 932/1 of Village Amer.
2	14/06/2023	That Assistant Conservator of Forests Nahargarh had prepared comprehensive factual report on 14/06/2023 after considering and analyzing the issue.
3	20/07/2023	That Applicant had served first reminder upon respondents.
4	17/09/2023	That Applicant had served second reminder upon respondents.
5	23/10/2023	That Applicant had third reminder upon respondents.
6	28/12/2023	That Applicant had fourth reminder upon respondents.
7	23/02/2024	That Applicant had fifth reminder upon respondents.
8	10/03/2024	That Applicant had sixth reminder upon respondents.
9	23/05/2024	That Applicant had seventh reminder upon respondents.
10	11/07/2024	That Applicant had served 8 th reminder upon respondents.

Rajendra Tiwari


[Signature]

11	20/08/2024	That Applicant had served 9 th reminder upon respondents.
12	25/10/2024	That Applicant had served 10 th reminder upon respondents.
13	08/11/2024	That Applicant had served 11 th reminder upon respondents.
14	01/12/24	Hence being aggrieved with the inaction of respondents this original application is being preferred by him without any delay.

Place: Bhopal

Dated: 01/12/24

रिश्ता/आवा

 Counsel for Applicant

(Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy) Advocates
Add- Chamber No. 178, Old Bldg., Rajasthan High
Court, Bench Jaipur at Jaipur (Raj)

E-mail: advocatekrishana@gmail.com

Mob.- 9982765049

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)
MEMORANDUM OF APPLICATION

[Under Section 18(1) read with sections 14, 15, 16 & 17 of the
National Green Tribunal Act, 2010]

ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2024
Between:

Rajendra Tiwari son of Shri Shambhu Dayal Tiwari, aged
about 45 years, resident of 100 Tiwari Bhawan Gurjar Ghati
Amer Road Jaipur, (Rajasthan). (Mobile No. 9214886314)
(Email-tiwarirajendra39110@gmail.com)

...APPLICANT

VERSUS

1. Union of India through the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email-secy-moef@nic.in).
2. Chairman, National Wildlife Board, Indira Paryavaran Bhawan Jor Bagh Road, New Delhi, 110003 (email-secy-moef@nic.in).
3. State of Rajasthan through the Additional Chief Secretary of Forests and Wildlife, Government of Rajasthan, Govt. Secretariat, Jaipur-302005 (Rajasthan). ([Email-nihalchand.goel@yahoo.com](mailto:nihalchand.goel@yahoo.com))
4. The Collector, District Jaipur-302016 (Rajasthan). ([Email-dm-jaip-ri@nic.in](mailto:dm-jaip-ri@nic.in))
5. The Principal Chief Conservator of Forests -cum- Chief Wildlife Warden, Forest Department, Government of

- Rajasthan, AranyaBhawan, Jhalana Institutional Area,
JhalanaDoongri, Jaipur-302004 (Rajasthan).(Email-
pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in).
6. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (FCA),
Forest Department, Government of Rajasthan,
AranyaBhawan, Jhalana Institutional Area, Jhalana Doongri,
Jaipur-302004 (Rajasthan).(Email-
pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in).
7. Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo Jaipur,
Ramniwas Bagh, Jaipur-302004(Rajasthan). (Email-
dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in)
8. Assistant Engineer, E-4 Jaipur Vidhyut Vitran Nigam
Amer, Jaipur, 302002. (Email- aene4jcc@jvvn.org).
9. Member Secretary, Rajasthan State pollution control
Board, Jhalana Doongri, Jaipur-302002 (Rajasthan).
(Email -acp.rpcb@rajasthan.gov.in).
10. Sub Divisional Officer, SDO Office Amer, Gandhi Chowk
Amer, Jaipur- 302028 (sdoamr@raj.gov.in).
11. Jaipur Development Authority through its Commissioner
Ram kishor vyas bhawan,indra circle , jawahar lal Nehru
Marg,Rambagh,jaipur,Rajasthan302004.(jda@rajasthan.gov.in).
12. Authorized Signatory, Rajasthan Small Scale Cottage
Industry, Sagar Road, Amer, Jaipur-302028. (Email
rajmslscindus@gmail.com).
13. Regional Director (Western Region Jaipur), Central
Ground Water Board, 6-A, Jhalna Doongri, Jaipur - 302004
(Rajasthan) (Email- rdwr-cgwb@nic.in).
14. Commissioner, Nagar Nigam Heritage Jaipur, Old Police
Headquarter Behind Hawamahal, Tripolia Bazar Jaipur-

Handwritten signature

Handwritten signature

302002. (Email- NNJHERITAGE@GMAIL.COM).

...RESPONDENTS

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. The address of the Applicant is as given above for the service of notices of this application and that of his representative. It is submitted that the applicant is a social worker and environmentalist and local resident of Jaipur City (Rajasthan) near the vicinity of Nahargarh Sanctuary Area and he is a wildlife lover and environmentalist who is working for save and protect the wildlife animals as well as environment.
2. The addresses of the Respondents are as given for services of notices of the application.
3. The applicant above-named begs to submit the Memorandum of Application against illegal operation of commercial establishment named Rajasthan Small Scale Cottage Industry upon reserved forest land of Nahargarh Wildlife Sanctuary situated in Old Khasra No. 932/1 at Village Amer and said land is integral part of Vankhad Amer-54 and Nahargarh Wildlife Sanctuary and so also there are clear violations of Section 2 of Forest Conservation Act and Section 20 of Wildlife Protection Act, 1972, Applicant had submitted complaints qua said issue and pursuant to complaints made by Applicant Assistant Conservator of Forests had prepared a detailed factual report on 14/06/2023 and thereafter Applicant had submitted various reminders on 20/07/2023, 17/09/2023,

20/07/2023

20/09/2023

23/10/2023, 28/12/2023, 23/02/2024, 10/03/2024, 23/05/2024, 11/07/2024, 20/08/2024, 25/10/2024 and 08/11/2024 respectively to responsible authorities of forest department qua all illegal and non-forest activities which are being operated by Respondent No.12 without any authority but no action has been taken so far in order to get the illegal activities stopped but no heed was paid towards the same, hence being aggrieved with inaction on part of Respondents, Applicant is preferring this Original Application on the basis of facts and grounds as under: -

FACTS IN BRIEF WITH GROUNDS:

- 1) That Government of Rajasthan had issued an order under Section 20 of Rajasthan Forest Act, 1953 on 21/11/1961 and acquired the land of Nahargarh Village and Other Villages to be the Reserve Forest with effect from 15/01/1962. It is submitted that as per above order Total 30004.607 Acre land was acquired in order to declare the same as reserve forest and after acquisition of total land, same came to be declared reserve forest with effect from 15/01/1962 and It is submitted that land was acquired from the Villages Amer, Manpur Sadva, Vijaymahal, Nahargarh, Bassi Sitarampura, Kishanbagh, Beed Papad, Mahapura/Kukar Kheda, Mayla Bagh, Beed Jaisala, Jaisala, Akeda, Sisiyawas, Bad Gaon, Khairwadi, Kishangarh, Udaipura, Laxmi Narayanpura, Bhadana, Chak-maanpura, Shivdaspura, Daulatpura, Bagwada, Seengwana, Kachrawala, Chaapradi, Jaitpura, Achrol, Barni/Varni,

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Labana, Gunawata, Dhand, Harwar, Khuraad, Chimanpura, Kukas, Nestiwas and Beed Kaleda and All these villages jointly designated as Vankhand Amer (Forest Block Amer) 54. The Photocopy of the order dated 21/11/1961 is enclosed herewith and marked as **Annexure-A/1**.

- 2) That Government of Rajasthan had further issued a notification No.F-11(39) Rajasthan 8/80 on 22/09/1980 under Section 18 of Wildlife Protection Act, 1972 by which the reserve forest declared by Order dated 21/11/1961, has further declared to be Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is submitted that at the time of issuance of notification dated 22/09/1980 the Boundaries of Sanctuary got decided. The Photocopy of the Order dated 22/09/1980 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/2**.
- 3) That Govt. of India has also issued a gazette notification on 08/03/2019 by which the Eco- Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary got declared. It is also submitted that Eco- Sensitive Zone shall be from 0-13 Kms. around the Sanctuary Boundaires of Nahargarh Wildlife Sanctuary. It is also submitted that by the way of notification dated 08/03/2019, some essential activities for local residents were allowed and rest of the commercial activities were prohibited. The Photocopy of the Notification dated 08/03/2019 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/3**.
- 4) That Old Khasra No. 932/1 measuring 110 Bheega 17 Biswas situated at Village Amer was recorded in the name

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

of Forest Department as Gair Mumkin Pahad and said land is integral part of Vankhad Amer-54 and Nahargarh Wildlife Sanctuary. The Photocopy of relevant Jamabandi is annexed herewith and marked as **Annexure-A/4**.

5) That Old Khasra No.932/1 came to be replaced by new khasra no's 4354, 4355 and 4356 at Village Amer, however the measurement of all three Khasras is approximately 82 Bheegas and thus it is clear from the perusal of revenue record that 28 Bheegas reserved forest land of Vankhand Amer-54 is found to be less in revenue record. The Photocopies of relevant revenue record are annexed herewith and marked as **Annexure-A/5 Collectively**.

6) That Applicant has come to know about illegal operation of a commercial establishment named Rajasthan Small Scale Cottage Industry upon reserved forest land of Vankhad Amer-54 and Nahargarh Wildlife Sanctuary and after knowledge he inquired that said commercial establishment is being operated at New Khasra No.4353 of Village Amer and said Khasra No.4353 is recorded in the name of Jaipur Development Authority and New Khasra No.4353 at Village Amer came to be originated from Old Khasra No. 932/2 of Village Amer and it has been apprised by revenue authorities that there is no record of Khasra No.932/2 and when the land does not spell out in revenue record then how it can be transferred in the name of Jaipur Development Authority in from of Khasra No.4353 at Village Amer. The Photocopies of relevant Jambandi and other



record are annexed herewith and marked as **Annexure-A/6 Collectively.**

- 7) That Applicant had submitted detailed complaint to respondents on 03/04/2023 and stated that private respondent is operating commercial establishment upon reserved forest land situated in Old Khasra No. 932/1 of Village Amer and New Khasra No. 4353 of Village Amer and said Khasra got originated from Old Khasra No.932/2 of Village Amer, which does not stand in revenue records, and thus initial Khasra No.932/1 got divided in Sub Khasra No.932/2 and the new khasras of old khasra no. 932/1 are Khasra No's 4354, 4355 and 4356 of Village Amer and New Khasra of Old Khasra No. 932/2 is New Khasra No. 4353 of Village Amer and said land of New Khasra No. 4353 is found to be recorded in the name of Jaipur Development Authority, which is violation of Section 2 of Forest Conservation Act, 1980 and as such it has been apprised by revenue authorities that no record is available qua the old khasra no.932/2 of village Amer and thus said Khasra is false and fabricated in nature and by submitting the complaint applicant had prayed for strict action against the culprits but no action has been taken by responsible officers so far. The Photocopy of Complaint dated 03/04/2023 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/7.**
- 8) That pursuant to complaint submitted by the Applicant Deputy Conservator of Forests, Wildlife, Zoo vide letter dated 25/04/2023 had directed the Assistant Conservator of

21/04/2023

[Signature]

Forests, Nahargarh and Regional Forest Officer, Nahargarh for submitting factual and action taken report at earliest. The Photocopy of letter dated 25/04/2023 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/8**.

- 9) That Assistant Conservator of Forest Nahargarh had taken cognizance of the matter in furtherance of letter dated 25/04/2023 and issued first notice to the private respondent on 02/05/2023 and directed him to stop the operation of commercial establishment till further orders and to submit the reply to the allegations made by the applicant but neither the reply was filed by private respondent and nor the operation of commercial establishment got stopped. The Photocopy of Notice dated 02/05/2023 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/9**.
- 10) That Chief Conservator of Forest, Wildlife vide letter dated 05/05/2023 had also directed the Deputy Conservator of Forests for submitting factual and action taken report in his office. The Photocopy of letter dated 05/05/2023 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/10**.
- 11) That Assistant Conservator of Forests Nahargarh had issued second notice on 24/05/2023 to the private respondents qua same issued and again reiterated the directions of earlier notice but no heed was paid towards the same. The Photocopy of Second Notice dated 24/05/2023 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/11**.

21/05/2023

21

12) That Assistant Conservator of Forests Nahargarh had prepared comprehensive factual report on 14/06/2023 after considering and analyzing the issue and arrived at the conclusion that impugned commercial establishment is multi-storey building and falls within the boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary and situated upon reserved forest land of Old Khasra No.932/1 of Village Amer and with the passage of time said Khasra No. 932/1 of Village Amer came to be sub-divided into Khasra No. 932/2 of Village Amer and the new khasras of old khasra no. 932/1 are Khasra No's 4354, 4355 and 4356 of Village Amer and New Khasra of Old Khasra No. 932/2 is New Khasra No. 4353 of Village Amer and It is submitted that as per recent revenue record the impugned commercial establishment is found to be situated upon Khasra No.4353 of Village Amer and as per Milan Kshetraphal said khasra no. 4353 got originated from Old Khasra No.932/2 of Village Amer and there is no record of Old Khasra No.932/2 of Village Amer with revenue authorities and Initially the measurement of Old Khasra No.932/1 of Village Amer was 110 Bheega 17 Biswas and now the total measurement of new Khasra No's 4354, 4355 and 4356 of Village Amer is approximately 82 Bheegas and it is the dilemma as to what circumstances the measurement of Old Khasra No.932/1 of Village Amer is very less i.e. 28 Bheegas and the measurement of new Khasra No.4353 of village Amer (Old Khasra No.932/2) is approximately 55 Bheegas however the old Khasra

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

No.932/2 of Village Amer is false and fabricated khasra and same does not stand in the revenue record and there is no record of said khasra with revenue authorities and thus it is clear that reserved forest land of Old Khasra No.932/1 of Village of Amer is being misappropriated by making division and sub-division of said original khasra and impugned commercial establishment is being operated at New Khasra No.4353 of Village Amer, which is the result of misappropriation of reserved forest land and as such the operation and existence of impugned commercial establishment is patently illegal in nature and derogatory to the provisions of Forest Conservation Act, 1980 and ultimately Assistant Conservator of Forests had opined strict action against the culprits and also issued directions to responsible authorities but no action has been taken so far in present matter. The Photocopy of factual report dated 14/06/2023 is annexed herewith and marked as **Annexure-A/12.**

- 13) That Applicant had submitted various reminders on 20/07/2023, 17/09/2023, 23/10/2023, 28/12/2023, 23/02/2024, 10/03/2024, 23/05/2024, 11/07/2024, 20/08/2024, 25/10/2024 and 08/11/2024 respectively to responsible authorities of forest department but no action has been taken so far in present matter. The Photocopies of reminders are annexed herewith and marked as **Annexure-A/13 Collectively.**

रिजर्व फॉरेस्ट

du

- 14) That land in question is reserved forest land of Nahargarh Wildlife Sanctuary recorded as Gair Mumkin Pahad in Revenue records and said area is part of Aravali Range of Hills and there are misappropriation of said hilly area in order to perform non-forest and commercial activities.
- 15) That Assistant Conservator of Forests Nahargarh vide factual report dated 14/06/2023 had directed the Jaipur Vidhyut Vitran Nigam Limited for disconnection of electricity connection of impugned commercial establishment but no action has been taken by JVVNL in order to get the electricity connection disconnected and JVVNL has not framed any guidelines for electricity connection in Wildlife Sanctuary and upon reserved forest land and in absentia of said guidelines the illegal operation of commercial establishments is being increased day by day therefore in order to deprecate the illegal and commercial activities in Wildlife Sanctuaries/Forest Land the directions are inevitable to be issued to JVVNL for framing guidelines for connection or disconnection of electricity connection in Wildlufe Sanctuaries/Forests lands.
- 16) That private respondent is also abstracting the ground water for commercial needs by using bore-wells and as such there is no authority from Central Ground Water Authority for the same.
- 17) That land in question is recorded in the name of Jaipur Development Authority and as per the knowledge of

12/25/2023

AK

the applicant lease deed has been issued in favour of private respondent by Jaipur Nagar Nigam Amer Hawamahal Zone and said lease deed is void and illegal from very inception being contrary to Section 2 of Forest Conservation Act, 1980.

- 18) That the humble applicant craves leave of this Hon'ble Tribunal to raise additional facts and grounds, alter and modified the same after filing the present Original Application with prior permission to the Hon'ble Tribunal.

LIMITATION:-

- 19) That Applicant had submitted various complaints to respondents but there are inaction of the part of respondents and subsequently he submitted last reminder to respondents on 08/11/2024 and prayed for strict action against the culprits but no action has been taken so far, thus there is no delay in filling this original application and the cause of action is continuous in nature, as such the present original application is well within the limitation.
- 20) That the required court fees has already been paid by the applicant through online portal of this Hon'ble Tribunal.

PRAYER

It is, most respectfully prayed that this Original Application may kindly be allowed and the Hon'ble Tribunal may be pleased to pass following directions and orders:-

[Handwritten signature] *[Handwritten mark]*

(i) By an appropriate order or direction, the Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to issue the appropriate directions to respondents as to stoppage of illegal and non-forest activities which are being carried on by private respondent forthwith.

(ii) This Hon'ble Tribunal is further pleased to demolish the illegal construction already raised in absence of requisite permissions with immediate effect, which is in violation of rules.

(iii) Respondents be also directed to take necessary steps in order to get the forest land free from encroachment and necessary alterations in revenue record be also made according to rules.

(iv) Jaipur Development Authority and Jaipur Nagar Nigam be directed to take appropriate steps in order to cancel patta and other permissions, if issued, in favour of private respondent.

(v) JVVNL be also directed to disconnect the electricity connection issued in favour of private respondent and also to frame guidelines for Wildlife Sanctuaries and Forest Areas.

(vi) Respondents be further directed not to raise any further construction during the pendency of this original application.

(vii) Respondents be directed to cease the operation of commercial establishment of private respondent during the pendency of this original application.

(viii) Respondents be directed to impose heavy environmental compensation upon the culprits for misappropriation of forest land for non forest purposes and also for illegal construction and abstraction of ground water for commercial purposes.

(ix) This Hon'ble Tribunal is further pleased to impose heavy penalty upon the culprits.

(x) this Hon'ble Tribunal may kindly be please to take appropriate action against the responsible officers and imposed heavy penalties against the officers/officials who have failed to discharge their official duties

(xi) Pass any other order and direction which this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.

2/10/2014

[Signature]



(xii) The costs of the litigation may kindly be awarded to the applicant.

Filed by Applicant

Through his Counsel:

[Handwritten signatures of Krishan Sharma and Vaibhav Pancholy]

Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy

Advocates for Applicant

Filed on 01/12/2024

VERIFICATION

I, Rajendra Tiwari son of Shri Shambhu Dayal Tiwari, aged about 45 years, resident of 100 Tiwari Bhawan Gurjar Ghati Amer Road Jaipur, (Rajasthan) do hereby state on oath and verify that the contents of my above application are true and correct to the best of my knowledge, belief and legal advice and nothing material has been concealed therein and no part of it is false. So help me God.

Jaipur, Dated - 03/12/24

Identified by

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Deponent

ATTESTED


[Handwritten signature]
= 3 DEC 2024

NOTARY PUBLIC JAIPUR
(RAJ) INDIA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. **259** OF 2024

RAJENDRA TIWARI
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS



AFFIDAVIT IN SUPPORT OF ORIGINAL APPLICATION

I, Rajendra Tiwari son of Shri Shambhu Dayal Tiwari, aged about 45 years, resident of 100 Tiwari Bhawan Gurjar Ghati Amer Road, Jaipur (Rajasthan), do hereby take oath and state as under:-

1. That I am applicant in this case and am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That averments of facts and ground of the annexed Original Application are true and correct, which I believe to be true and correct on the basis of my personal knowledge.

Identified by
[Signature]

VERIFICATION

[Signature]
DEPONENT

I, above named deponent, do hereby verify that contents of para no.1 to 2 of the above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

ATTESTED
[Signature]
12 NOV 2024
NOTARY PUBLIC JAIPUR
(RAJ.) INDIA

[Signature]
DEPONENT

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN
TRIBUNAL CENTRAL ZONAL BENCH BHOPAL
(M.P.)**
ORIGINAL APPLICATION NO. 259 OF 2024
RAJENDRA TIWARI
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS
COMPILATION-2

COMPILATION-2			
1.	List of documents		
(a)	Photo copy of order dated 21/11/1961.	Annexure-A/1	19-20
(b)	Photo copy of Notification dated 22/09/1980.	Annexure-A/ 2	21-22
(c)	Photo copy of Notification dated 08/03/2019.	Annexure -A/3	23-38
(d)	Photocopy of relevant Jamabandi.	Annexure-A/ 4	39-45
(e)	Photocopies of relevant revenue record.	Annexure-A/ 5	46
(f)	Photocopies of relevant Jambandi and other record.	Annexure-A/ 6	47-51
(g)	Photocopy of Complaint dated 03/04/2023.	Annexure-A/ 7	52-58
(h)	Photocopy of letter dated 25/04/2023.	Annexure-A/8	59
(i)	Photocopy of Notice dated 02/05/2023.	Annexure-A/9	60-61
(j)	Photocopy of letter dated 05/05/2023.	Annexure-A/10	62
(k)	Photocopy of Second Notice dated 24/05/2023.	Annexure-A/11	63-64
(l)	Photocopy of factual report dated 14/06/2023.	Annexure-A/12	65-68
(m)	Photocopies of reminders.	Annexure-A/13	69-99
2	Affidavit in support of documents		100
3	Vakalatnama		101

PLACE: BHOPAL
DATED: 01/12/24

idr
Counsel for Applicant
(Krishan Sharma/ Vaibhav Pancholy) Advocates
Add- Chamber No. 178, Old Bldg., Raj High
Court, Bench Jaipur at Jaipur (Raj).

25/12/24

राजस्थान सरकार

f.c. Pg. 19-20

राजस्व (क) विज्ञप्ति
प्रपत्र 'जे'
(धारा 20 के अधीन)

संख्या एफ.7(28)रा.क./61

दिनांक 21.11.61

चूंकि विज्ञप्ति दिनांक 15.10.47 द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि की जयपुर वन अधिनियम, 1939 के अधीन आरक्षित दर के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था।

ओर चूंकि इन भूमियों पर अधिकारों के बारे में अधियानचाएँ यदि हों, निबटा दी गई हैं।

ओर चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित व आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटावी गई हैं।

ओर चूंकि प्रस्तावित वन भूमि में सम्मिलित किये जाने के लिये अवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई हैं।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 एक्ट की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक 15.01.62 से अधीन है कि नीचे लिखे गये गांव कोई अधिकार नहीं रखेंगे। उक्त अधिकारों की संक्षिप्त सूची (2) में उल्लिखित सीमा क ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय 2 पर निर्धारित किये जावें, अनुदानों का उपयोग करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
आर. के० चतुर्वेदी,
शासन सचिव।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खंड का नाम	मौजा	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
जयपुर	जयपुर	आमेर 54	आमेर	4411.531	सीमा विवरण का परिशिष्ट अ संलग्न है
	आमेर		मानपुर सडवा	157.125	
	जमवारामगढ़		विजय नहर	81.344	
			नाहरगढ़	2152.406	
			बरसी- सीतारामपुरा	276.875	
			किशनबाग	363.531	
			बीड पापड़	1198.594	
			माहपुरा उर्फ कुकरखेडा	351.968	
			नायलाबाग	1565.812	
			बीड जैशला	828.438	
			जैशला	751.313	
			आकेड़ा	273.219	
			शीष्यावास	2865.946	
			बडागावं	79.938	
			खैरवाडी	459.562	
			विशनगढ़	227.843	
			अखैपुरा	62.5	
			लक्ष्मीनारायणपुरा	276.937	
			बदारना	26.5	
			उदयपुरा	943.718	
			चक हनुमानपुरा	14.343	

			सेवारामपुरा	88.812	
			दौलतपुरा	1197.25	
			बगवाडा	663.094	
			सौंगवाना	1429.531	
			कचरावाला	1151.562	
			छापराडी	490.469	
			जैतपुरा	1020.969	
			अचरोल	1673.094	
			अनी	131.906	
			लबाना	290.75	
			गुनावता	439.312	
			ढण्ड	129.843	
			हरवर	298.843	
			खुराड	797.625	
			धिमनपुरा	19.031	
			कुकस	2594.968	
			नेस्तीवास	576.687	
			बीड तालेडा	526.5	
				30004.907	
				एकड	

प्रपत्र 'अ'

ब्लॉक संख्या 54 आमेर बडी लाइन रेंज जयपुर

क्र.सं.	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कडिया में		दिशा आगामी स्तम्भ तक	सीमा रेखा प्रकार
			जरीब	कडिया		
			4	5	6	7
1	2	3	7	60	पश्चिम	सीधी रेखा
2	2	3	11	10	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
3	3	4	3	40	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
4	4	5	54	40	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
5	5	6	7	50	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
6	6	7	9	20	पूर्व	सीधी रेखा
ग्राम जैतपुरा						
7	7	8	21	40	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
8	8	9	12	80	उत्तर	सीधी रेखा
9	9	10	12	60	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
10	10	11	12	60	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
11	11	12	14	20	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
12	12	13	12	50	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
13	13	14	6	80	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
14	14	15	25	60	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
ग्राम अचरोल						
15	15	16	3	70	उत्तर	सीधी रेखा
16	16	17	10	0	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
17	17	18	10	30	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा
18	18	19	27	60	उत्तर पूर्व	सीधी रेखा

Amnd. A/2

~~Amnd. A/3~~

राजस्थान सरकार
राजस्व विभाग-0

क्रमांक/एफ 11/39/राज-0/80 जयपुर, दिनांक 22 फरवरी, 1980

अधि-पत्र

वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि विभाग की अधिसूचना संख्या प011014/3/72 एण्ड आर0जा 40/उत्पन्/एण्ड दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को, उनकी परिस्थिति व प्राणजातीय, वानस्पतिक, भू-संरचना, प्रदूषित-शैक्षणिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है, जिसे अधिसूचि में नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा यह जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं का विवरण :-

इच्छिमे भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2]

सीमा विवरण नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य

उत्तर- कक्षेत्र बीड तालेडा व ग्राम कुण्ड की उत्तरी सीमा तक ग्राम कुण्ड का वन क्षेत्र सीपवती वन क्षेत्र ग्राम दौलतपुरा उत्तरा नम्बरान 1090 व 1091 व ग्राम कुण्ड उत्तरा नम्बरान 4, 5, 6 व 7 का उत्तरी भग।
वन सीमा नाईन मणिवती राजस्व क्षेत्र ग्राम कुण्ड खराड चिखनपुरा, आगेर, आखादी आगेर मांडा, आगेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ़।

Handwritten notes in Hindi, including "स. लो. सु. अधिकारी" and "सहायक वन संरक्षक" with some illegible scribbles.

दक्षिण- वन सीमा नाईन मणिवती आखादी ब्रह्मपुरी व पुरानी बस्ती।

पश्चिमी- नाहरी का बाका आखादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किरान बाग बीड तालेडा व ग्राम अमानिराहने पश्चिमी विवरण, ओपेणिक क्षेत्र व क. लोगा नाईन मणिवती राजस्व क्षेत्र ग्राम जेफला आखेडा,

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

607650



स. लो. सु. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर



पिपरावाग, वडा गावे पावसा व नदीपानी वन क्षेत्र वडा गावे
भांडवळ आकरा नं० ०२-१० व ०३ या उत्तरी परिष्करी कोना
व सीमा वन क्षेत्र वीड गावे व नदीपानी वन क्षेत्र मध्य दौलतपुरा
अकरा नम्बर १०९२-९३

राजस्थान व आदिवासी
मंत्रालय
पिपरावाग/पिपरावाग
जयपुर राजस्थान

- प्रतिनिधि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
- 1- सचिव, राजस्थान महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
 - 2- सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
 - 3- समस्त निजी अधिकारी/उप अधिकारी, राजस्थान, जयपुर ।
 - 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
 - 5- समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
 - 6- मुख्य वन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर ।
 - 7- मुख्य वन्य जीव प्रतियोगिता, राजस्थान, जयपुर ।
 - 8- जिनाधीन, जयपुर ।
 - 9- कार्यात्मक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक वन क्षेत्र व
को अतिरिक्त १० प्रतियां भिजा ।
 - 10- राई अकरा

मंत्रालय
उप राजस्थान सचिव

- प्रतिनिधि वन: प्रेषित है:-
- 1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
 - 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर ।
 - 3- एजिड, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जयपुर ।

मंत्रालय
उप राजस्थान सचिव

प्रतिनिधि अधीकृत, केन्द्रीय न्यायालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनाय
प्रेषित है ।

मंत्रालय
उप राजस्थान सचिव

एम०पी० नंबरवा/२१-६-८०

जमीन के मालिकों को न्याय के लिए
जयपुर के मालिकों के मालिकों को न्याय के लिए

सर्वेक्षण नियम के तहत प्रमाणित
कोटे प्रति
सर्वेक्षण अधिकारी
वन सर्वेक्षण विडियाघर, जयपुर



7.0. 19. 21-22

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रप-8) विभाग

क्रमांक/एफ11(39) राज-8/80

जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1980

अधि-सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1) 72 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प011014/3/12 एफ.आर. आई./डब्ल्यू.एल. एफ. दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को उनकी परिस्थिति व महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदक्षीन बनाये गये नियमों से जारी किये गये ओदशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरण:-

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

सीमा विवरण नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य

उत्तर- वनक्षेत्र बीड़ तालेड़ा व ग्राम पापड़ की उत्तरी सीमाओं तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र सीमावर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1090 व 1091 ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4,5,6 व 7 का उत्तरी भाग।

पूर्व- वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस, खुराड, चिमनपुरा, आमेर, आबादी आमेर आबादी आमैर मांवटा, आमेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ।

दक्षिण- वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी ब्रह्मपुरी व पुरानी बस्ती।

Tr. C. Pg. 77-78
21-22

पश्चिमी- नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग, बीड़ पापड़ व नाला, अमानीशाह से पश्चिम विश्कर्मा, औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाइन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र जेसला, आकेड़ा, शिस्वावास, बड़ा गॉव माडिया व समीपवर्ती क्षेत्र बड़ा गॉव माडिया खसरा नम्बर 02-85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सीमा वन क्षेत्र तोलेडा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1092-93

राज्यपाल के आदेश पे

(एम0एस0 सिधवा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
8. जिलाधीश जयपुर
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक अनुभाग- को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित।
10. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

एम0पी0 बैरवा/21.09.80

उप शासन सचिव

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबंध किए जा सकते हैं ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सारांश । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दाखिल की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

S.O.1220(E).—WHEREAS, a draft notification was re-notified and published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2995 (E), dated the 11th September, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 12th September, 2017;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Nahargarh Wildlife Sanctuary is lying between latitudes 26°56'15.08"N & 26°57'5.81"N and longitudes 75°48'55.70"E & 75°46'54.65"E. The Sanctuary was notified vide Government of Rajasthan notification No. F11 (39) Revenue/8/80 of dated the 22nd September, 1980. The sanctuary is situated in the Aravalli ranges at Amber hills, Jaipur district of Rajasthan and is spread over an area of 52.40 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has "Tropical Dry Deciduous Forest" and "Tropical Thorn Forest" as per classification of Champion and Seth. The forest is spread over the area on various geological and soil formations over the hilly terrain of Aravallis and hence varies in composition;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a variety of habitats for diversified flora and major flora of this sanctuary includes salar (*Boswellia serrata*), gurjan (*Linnaea gradis*), tendu (*Dispyros melanoxylon*), karaya (*Sterculia urens*), gugal (*Commiphora mukul*), amaltas (*Cassia fistula*), awanla (*Embellica officinalis*), binnas (*Hesperathusa cranulata*), um (*Seccopetalum tomentosa*), goya khir (*Dishrostachya cineria*), sainja (*Maringa pterygospema*), dhak (*Butea monosperma*), rahan (*Soydmida febriguga*), mokha (*Scherebra swetenoides*), rohini (*Mallatus*

philipensis), ber (*Zizphus jujuba*), jamun (*Syzyguim cumini*), gular (*Ficus glomerata*), kadam (*Mitragyna parvifolia*), bahira (*Terminalia bellerica*), dhaora (*Anogeissus latifolia*), kahjur (*Phoenix syvestris*), hingot (*Balanites aegyptica*), khair (*Acacia catechu*), sevan (*Gmelia arborea*), arjun (*Terminalia arjuna*), neem (*Azadirachta indica*), peepal (*Ficus religiosa*), bargad (*Ficus benghalensis*), shiham (*Dalbergia sissoo*), bijasal (*Pterocarpus marsupium*), kakon (*Flacourita indica*), kharini (*Wrightia tinctoria*), dudhi (*Wrightia tomentosa*), jhinjha (*Bauhinia recemosa*), casaeria (*Casaeria tomentosa*), barn (*Creataeva relegiosa*), bel (*Aegle marmelose*), ronj (*Acacia marmelose*), lisora (*Cordia myxa*), churel (*Holoptelia intergrifoila*), aam (*Mangifera andica*), imli (*Tamarindus indica*), kaith (*Limonia acidissima*), siris (*Albizzia lebbek*), semal (*Bombaz ceriba*), celastrus (*Cleastrus paniculates*), etc.;

AND WHEREAS, the Sanctuary has variety of habitats for diversified fauna. Fish species recorded from of this Sanctuary includes catal (*Catla catla*), greyei (*Channa marulius*), lanchi (*Walago attu*), mahseer (*Tor tor*), mirgal (*Cirrhinus mrigala*), roho (*Labeo rohita*), savank (*Channa punctatus*), seenghari (*Mystus seenghala*). Apart from fishes, the common Indian toad (*Bufo melanostictus*), common frog (*Rana tigerina*), banded krait (*Bugorus fasciatus*), cobra (*Naja naja*), common krait (*Bungarus caeruleus*), fresh water swamp crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian python (*Python molurus*), north Indian flap shelled turtle (*Lissemys punctata punctata*), rat snake (*Ptyas mucosus*), leopard (*Panthera pardus*), etc. the main fauna of the sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nahargarh Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 0 (zero) to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary, in Jaipur district of Rajasthan as Eco-Sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-Sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.**— (1) The Eco-Sensitive Zone shall be to an extent of 0 (zero) to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-Sensitive Zone is 79.356 square kilometres. Zero extent is towards the sides with heavy urbanization.
 - (2) The boundary description of Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco-Sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Nahargarh Wildlife Sanctuary demarcating Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA**, and **Annexure-IIB**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Eco-Sensitive Zone are given in table **A** and **B** of **Annexure-III**.
 - (5) The lists of village falling in the Sanctuary and proposed Eco-Sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points are appended as **Annexure-IV**.
2. **Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.**— (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
- (i) Environment,
 - (ii) Forest,
 - (iii) Urban Development,
 - (iv) Tourism,
 - (v) Revenue,
 - (vi) Agriculture,
 - (vii) Rural Development,
 - (viii) Irrigation and Flood Control,
 - (ix) Municipal,
 - (x) Panchayati Raj,
 - (xi) Public Works Department, and
 - (xii) Rajasthan State Pollution Control Board.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.
- 3. Measures to be taken by the State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:
- Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-
- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;
- (v) rainwater harvesting; and
- (vi) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism or Eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-Medical Waste.**- Bio Medical Waste Management shall be as under.-
- (a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic waste management.**- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and demolition waste management.**- The construction and demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

- (13) **E-waste.**- The e - waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.**- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.
- (16) **Industrial units.**- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-Sensitive Zone.
(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of hill slopes.**- The protection of hill slopes shall be as under:-
(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.
4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone.**- All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972, (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
11.	Use of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.

		<p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
14.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
15.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.

26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Bio-Medical Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Air and vehicular pollution.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per the applicable laws.
31.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
32.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
33.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
34.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
C. Promoted Activities		
35.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
36.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
37.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
38.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
40.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
42.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
43.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
44.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
45.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the

Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jaipur	Chairman, ex officio;
2.	Sub Divisional Officer, Amer	Member;
3.	A representative of non-governmental organisation or working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years	Member;
4.	One expert in Ecology and Environment from reputed institution or university of the State to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years.	Member;
5.	Honorary wildlife warden, Jaipur	Member;
6.	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board	Member;
7.	Mayor, Jaipur Municipal Corporation	Member;
8.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	Member;
9.	Member of the State Biodiversity Board	Member;
10.	Deputy Conservator of Forest/Wildlife, Jaipur	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/60/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

In order to delineate boundaries of Eco-Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary all field structures, habitations, water bodies, Industrial areas, religious places and other public institutes as provided by the revenue authorities have been marked on the map annexed with this notification. Geographical Positioning System (GPS) have been marked on the Sanctuary boundaries, which are numbered from 1 to 100 on the map. Then the boundaries of Eco-Sensitive Zone have also been marked on the same map and its Geographical Positioning System points have also marked on the boundary and numbered as 101 to 336. This map is annexed as Annexure-II. The boundary of Eco-Sensitive Zone is decided as indicated by the Geographical Positioning System points shown on this map as under:

Northern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position point number 186 marked on reserve forest block boundary Amer-54 and Eco-Sensitive Zone boundary including villages Bagwara, Singwana. Chhapradi, Jaitpura Khinchi, Achrol, Ani, Labana, Gunawata, Dhandh, Harbar to Kukas to Global Position System point number 270 will be up to 13 kilometers. Eco Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 186 to 270 is co-terminus with the boundary of reserve forest block Amer-54 and will include the whole reserve forest in the Eco-Sensitive Zone within these Global Position System points.

Eastern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position System point number 270 to 280 will be Reserve forest block boundary, from Global Position System point number 280 to 281 will be along National Highway No. 8(Now NH-11-C), from Global Position System point number 281 to 295 will be 100 meters to 500 meters from sanctuary boundary. Similarly, the boundary along NH 8(Now 11 C) from Global Position System point 295 to 297 will be Eco Sensitive Zone. Reserve forest block boundary from GPS point number 297 to 320 will be Eco-Sensitive Zone limit. Sanctuary boundary from Global Position System point number 320 to 325 will be Eco Sensitive Zone limit including Rajamal ka talab. The extent of Eco Sensitive Zone from Global Position System point number 297 to 325 will be from 100 meters to 2.0 kilometers.


Southern boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 325 to 336 and up to 101 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 101 to 104 it will be co-terminus with the boundary of reserve forest Block Amer -54. From GPS point number 104 to 108 it will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 108 to 147 it will run along the natural boundary (flow as well as bed area up to both banks) of Amanishah Nallah.

Western boundary: Eco-Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 147 to 160 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point

number 160 to 186 it will be 50 meters to 2 kilometers including Bahav sagar, Akhepura, Badagaov, Bhatiya, Bishangarh Areas.


ANNEXURE-IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE-IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°47'22.26"E	26°58'15.90"N
2	E02	75°48'0.42"E	26°59'52.80"N
3	E03	75°49'17.10"E	27° 0'44.70"N
4	E04	75°50'26.10"E	27° 2'27.36"N
5	E05	75°52'27.78"E	27° 2'42.42"N
6	E06	75°53'9.90"E	27° 1'46.92"N
7	E07	75°52'28.38"E	26°59'29.76"N
8	E08	75°51'22.56"E	26°59'9.90"N
9	E09	75°50'30.78"E	26°57'21.54"N
10	E10	75°48'40.80"E	26°56'2.40"N
11	E11	75°48'7.62"E	26°57'13.68"N

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75°49'5.16"E	27° 1'16.50"N
2	E02	75°49'42.06"E	27° 3'12.42"N
3	E03	75°51'3.42"E	27° 3'58.98"N
4	E04	75°51'18.48"E	27° 4'43.20"N
5	E05	75°52'32.70"E	27° 5'50.52"N
6	E06	75°53'56.40"E	27° 6'51.30"N
7	E07	75°54'47.52"E	27° 3'33.66"N
8	E08	75°56'44.58"E	27° 8'17.22"N
9	E09	75°57'37.56"E	27° 6'40.56"N
10	E10	75°56'5.70"E	27° 6'19.50"N
11	E11	75°55'20.28"E	27° 4'55.74"N
12	E12	75°54'1.20"E	27° 2'34.56"N
13	E13	75°53'7.32"E	26°59'18.30"N
14	E14	75°52'14.04"E	26°57'45.00"N
15	E15	75°51'5.28"E	26°57'14.58"N
16	E16	75°48'46.32"E	26°55'54.78"N
17	E17	75°46'54.48"E	26°56'23.04"N

18	E18	75°47'49.80"E	26°57'34.14"N
19	E19	75°47'32.52"E	26°59'29.76"N

ANNEXURE-IV

LISTS OF VILLAGES COMING UNDER NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Villages in the Sanctuary	Latitude	Longitude
1	Nahargarh	26°56'15.08"N	75°48'55.70"E
2	Amer	26°59'8.19"N	75°51'4.82"E
3	Chimanpura	27° 1'23.51"N	75°54'4.74"E
4	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
5	Nestiwas	27° 1'39.28"N	75°52'25.41"E
6	Khurad	27° 2'4.37"N	75°53'7.23"E
7	Taleda	27° 2'41.57"N	75°52'25.42"E
8	Badagaon Jarkhya	27° 2'14.47"N	75°51'22.67"E
9	Sisiyawas	27° 0'37.93"N	75°50'51.32"E
10	Akeda	27° 0'25.41"N	75°48'45.67"E
11	Jaisalya	26°59'36.43"N	75°49'17.09"E
12	Papad	26°58'4.10"N	75°47'41.57"E
13	Kishanbag	26°57'5.81"N	75°46'54.65"E
Sl. No.	Villages in Eco-sensitive Zone	Latitude	Longitude
1	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
2	Harwar	27° 3'58.08"N	75°56'25.90"E
3	Dhand	27° 4'44.03"N	75°56'20.66"E
4	Gunawata	27° 5'34.61"N	75°56'57.21"E
5	Labana	27° 6'38.16"N	75°57'45.56"E
6	Ani	27° 7'5.48"N	75°59'7.83"E
7	Achoral	27° 8'8.37"N	75°58'20.78"E
8	Jaitpura Khinchi	27° 7'58.38"N	75°55'2.24"E
9	Chhapreri	27° 6'44.47"N	75°54'51.62"E
10	Singhwana	28° 5'52.77"N	75°50'0.01"E
11	Chokhalyawas urf Kacherawala	27° 4'30.74"N	75°55'2.22"E
12	Bagwada	27° 5'28.14"N	75°50'51.42"E
13	Daulatpura	27° 4'46.15"N	75°49'53.80"E

ANNEXURE-V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-Sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

ब्लॉक ५४ जोधपुर नई लाइन प
रैन्ज जय

Amr A/4
मैजिस्ट्रेट
जुवा रामगढ़ जिला जयपुर (राजस्थान)

क्रमांक	नाम गाँव	लाला नम्बर	शाम	अंश	बिघा
1	जोधपुर	9	शा	89	
2		2	—	25	
3		3	—	25	
4		4	जुज	89	
5		5	—	90	
6		6	शा	32	
7		7	—	196	
8		8	जुज	20	9
9		9	—	0	
10		10	—	23	
11		11	शा	24	6
12		12	—	68	6
13		13	—	0	2
14		14	—	2	3
15		15	—	9	18
16		16	—	13	8

क्रमांक	शाम	बिघा	अंश	बिघा
1	शा	89	16	
2	—	25	18	
3	—	25	6	
4	जुज	89	8	
5	—	90	8	
6	शा	32	16	
7	—	196	0	
8	जुज	20	6	
9	—	0	0	
10	—	23	0	
11	शा	24	6	
12	—	60	6	
13	—	0	2	
14	—	2	3	
15	—	9	8	
16	—	13	8	
17	—	220	18	

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति
स. लो. सु. अधिकाारी
जुवा रामगढ़ जिला जयपुर

क्र. सं.	विवरण	II		III		पासिंग	
		विद्या	विद्या	विद्या	विद्या	विद्या	विद्या
604	श	8				8	
605	—	95			2	97	
606	जु	10			2	0	
607	—	9			1	0	
608	—		68	90	68		
609	—	10	9	95	9	93	
610	—	8	92	93	12	11	
611	—	0	60	5	60	6	
612	—	2				3	
613	—	6			2	6	
614	श	0			18	0	
615	—	8				8	
616	—	15				15	
617	जु	0			1	16	
618	—					8	
619	—	6				6	
620	—	0				0	
621	—	0				10	
622	—	6				13	
623	—	60				3	
624	—	60				13	

31

सूचना अधिनियम के तहत प्रकाशित
 फंडा प्रांत
 राज्य सरकार, जयपुर
 सहायक वन संरक्षक, जयपुर

60 3
 60 13

श्री राजाशामर

III पारिभाषिका
ख.वा

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	दर	कुल
२६५	पत्रा	०	६४	०
२६६	—	०	६४	०
२६७	—	२	६६	२
२६८	—	६	४०	६
२६९	—	०	६४	०
२७०	—	०	६४	०
२७१	—	०	६४	०
२७२	—	५	६३	५
२७३	—	०	६४	०
२७४	—	०	४०	०
२७५	—	०	३२	०
२७६	—	०	४०	०
२७७	—	०	६४	०
२७८	—	०	६४	०
२७९	—	१५	४५	१५
२८०	—	०	६१	६
२८१	—	०	६४	०
२८२	—	०	६४	०
२८३	—	०	६४	०

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a large signature and some illegible text.

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति
स. लो. सू. जयपुर
श्री राजाशामर वन संरक्षक दिंडियाघर, जयपुर

Handwritten notes at the top left of the page.

~~282~~
 282 --- 20
 284 --- 21
 284 277 120
 285 --- 21
 286 --- 20
 287 --- 20
 288 --- 20
 289 --- 21
 290 --- 20
 291 --- 20
 292 --- 20
 293 --- 20
 294 --- 20
 295 --- 20
 296 --- 20
 297 --- 20
 298 --- 20
 299 --- 20
 300 --- 20
 301 --- 20
 302 --- 20
 303 --- 20
 304 --- 20
 305 --- 20
 306 --- 20
 307 --- 20
 308 --- 20
 309 --- 20
 310 --- 20

~~282~~
 282 26 2
 284 20 15
 285 100 120
 286 21 2
 287 0
 288 0
 289 0
 290 22 0
 291 29 120
 292 0 20
 293 28 20
 294 0
 295 26 15
 296 26 15
 297 21 20
 298 6 16
 299 20 12
 300 20 16
 301 0
 302 0
 303 0
 304 0
 305 0
 306 0
 307 0
 308 0
 309 0
 310 0

30 2
 31 0
 32 0
 33 0
 34 0
 35 0
 36 0
 37 0
 38 0
 39 0
 40 0

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.

क्र. सं.	विवरण	प्र. विद्या	विद्या	विद्या
८६४	श्री	३२४९	१४	६४ ०
८६५	—			६४ ०
८६६	—			६४ ०
८६७	पुज			२६ ३
८६८	श्री			२ १३
८६९	पुज			१६ १२
८७०	—			११० १६
८७१	—			० १२
८७२	—	६८ १४	६८ ३	
८७३	—			० ११
१०२७	—			१६ २
१३६४	—			४१ १४
१३६५	—	६ ३७ ७	३७ ३	
१३६६	—			२८ ४
१३६७	—			३४ १
१३६८	—			४४ ४
१३६९	—	६ ४० ३	३६ १६	
१३७०	—			२४ १२
१३७१	—			४ १०
१३७२	—			४ १२
१३७३	—	० ६	० ६	
१३७४	—			१ ६
६३४४	—			२२ १०
६३६२	श्री			१६ ३

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
 फोटो प्रति
 स. लो. सू. अधिकारी
 प्रशासक, वन संरक्षक विद्याचर, जयपुर

वन खण्ड आमेर-54 बड़ी लाईन, मौजा आमेर, जयपुर
रैंज जयपुर-जंमवा रामगढ़, जिला जयपुर (राज.)

ग्राम मौजा आमेर

खसरा नं.	पुरा/जुज	क्षेत्रफल I		क्षेत्रफल II		क्षेत्रफल III		क्षेत्रफल (पासिंग)	
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा
1	पुरा	41 बीघा						41 बीघा	16 बिस्वा
2	पुरा	29 बीघा						29 बीघा	14 बिस्वा
3	पुरा	24 बीघा						24 बीघा	7 बिस्वा
4	जुज	41 बीघा						41 बीघा	5 बिस्वा
5	जुज	18 बीघा						18 बीघा	5 बिस्वा
6	पुरा	32 बीघा						32 बीघा	17 बिस्वा
7	पुरा	116 बीघा						116 बीघा	8 बिस्वा
8	जुज	28 बीघा	1 बिस्वा					28 बीघा	7 बिस्वा
25	जुज							0	8 बिस्वा
774	जुज	53 बीघा						53 बीघा	0
775	पुरा	55 बीघा	7 बिस्वा					55 बीघा	7 बिस्वा
776	पुरा	60 बीघा	6 बिस्वा					60 बीघा	6 बिस्वा
777	पुरा		2 बिस्वा					0	2 बिस्वा
778	पुरा	2 बीघा	3 बिस्वा					2 बीघा	3 बिस्वा
779	पुरा	1 बीघा	4 बिस्वा					1 बीघा	4 बिस्वा
780	पुरा	13 बीघा	5 बिस्वा					13 बीघा	5 बिस्वा
784	पुरा				4 बिस्वा				4 बिस्वा
785	पुरा				15 बिस्वा			2 बीघा	15 बिस्वा
786	जुज				18 बिस्वा			2 बीघा	
788	जुज				1 बिस्वा			1 बीघा	
793	जुज					74 बीघा	10 बिस्वा	74 बीघा	8 बिस्वा
798	जुज				10 बिस्वा	1 बीघा	15 बिस्वा	1 बीघा	13 बिस्वा
799	जुज				5 बिस्वा	12 बीघा	13 बिस्वा	12 बीघा	11 बिस्वा
800	जुज					70 बीघा	5 बिस्वा	70 बीघा	6 बीघा
801	जुज				3 बिस्वा				3 बिस्वा
808	जुज				7 बिस्वा			2 बीघा	6 बिस्वा
812	पुरा							14 बीघा	
813	पुरा				5 बिस्वा				5 बिस्वा
814	पुरा				15 बिस्वा				15 बिस्वा
815	जुज				9 बिस्वा			8 बीघा	17 बिस्वा
816	जुज								4 बिस्वा
818	जुज						6 बिस्वा		6 बिस्वा
825	जुज								10 बिस्वा
826	जुज							7 बीघा	13 बिस्वा
827	जुज							60 बीघा	3 बिस्वा
875	पुरा							64 बीघा	
876	पुरा							64 बीघा	
877	पुरा							74 बीघा	2 बिस्वा
878	पुरा							40 बीघा	6 बिस्वा
879	पुरा							64 बीघा	
880	पुरा							64 बीघा	
881	पुरा							64 बीघा	

खसरा नं.	पुरा/जुज	क्षेत्रफल I		क्षेत्रफल II		क्षेत्रफल III		क्षेत्रफल (पासिंग)	
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा
882	पुरा							63 बीघा	5 बिस्वा
883	पुरा							64 बीघा	
884	पुरा							48 बीघा	
885	पुरा							32 बीघा	
886	पुरा							48 बीघा	
887	पुरा							64 बीघा	
888	पुरा							64 बीघा	
889	पुरा							55 बीघा	15 बिस्वा
890	पुरा							61 बीघा	7 बिस्वा
891	पुरा							64 बीघा	
892	पुरा							64 बीघा	
893	पुरा							64 बीघा	
843	पुरा	28 बीघा				27 बीघा	5 बिस्वा	27 बीघा	2 बिस्वा
854	पुरा							50 बीघा	19 बिस्वा
855	पुरा							188 बीघा	19 बिस्वा
856	पुरा							51 बीघा	2 बिस्वा
857	पुरा							48 बीघा	
858	पुरा							64 बीघा	
859	पुरा							64 बीघा	
860	पुरा							32 बीघा	
861	पुरा							29 बीघा	19 बिस्वा
862	पुरा							80 बीघा	9 बिस्वा
863	पुरा							14 बीघा	8 बिस्वा
864	पुरा							48 बीघा	
865	पुरा							67 बीघा	16 बिस्वा
866	पुरा							68 बीघा	14 बिस्वा
867	पुरा							62 बीघा	9 बिस्वा
868	पुरा							70 बीघा	17 बिस्वा
869	पुरा							40 बीघा	12 बिस्वा
870	पुरा							20 बीघा	17 बिस्वा
871	पुरा							64 बीघा	
872	पुरा							64 बीघा	
873	पुरा							64 बीघा	
874	पुरा							60 बीघा	2 बिस्वा
894	पुरा							64 बीघा	
895	पुरा							64 बीघा	
896	पुरा							64 बीघा	
897	जुज							26 बीघा	3 बिस्वा
898	पुरा							2 बीघा	13 बिस्वा
919	जुज							17 बीघा	12 बिस्वा
932	जुज							110 बीघा	17 बिस्वा
933	जुज								12 बिस्वा
936	जुज					68 बीघा	15 बिस्वा	68 बीघा	3 बिस्वा
937	जुज								11 बिस्वा
1027	जुज							19 बीघा	2 बिस्वा
1364	जुज							41 बीघा	14 बिस्वा

खसरा नं.	पुरा/जुज	क्षेत्रफल I		क्षेत्रफल II		क्षेत्रफल III		क्षेत्रफल (पासिंग)	
		बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा	बीघा	बिस्वा
1365	जुज					37 बीघा	7 बिस्वा	37 बीघा	7 बिस्वा
1366	जुज							28 बीघा	4 बिस्वा
1367	जुज							34 बीघा	1 बिस्वा
1368	जुज							54 बीघा	4 बिस्वा
1369	जुज							39 बीघा	19 बिस्वा
1370	जुज							25 बीघा	12 बिस्वा
1371	जुज							5 बीघा	10 बिस्वा
1372	जुज							5 बीघा	12 बिस्वा
1373	जुज						9 बिस्वा		9 बिस्वा
1374	जुज							1 बीघा	6 बिस्वा
6344	जुज							22 बीघा	10 बिस्वा
6362	पुरा							16 बीघा	2 बिस्वा
6363	पुरा	36 बीघा						36 बीघा	
6364	पुरा	24 बीघा						24 बीघा	
6365	जुज	15 बीघा						15 बीघा	2 बिस्वा
6366	जुज	9 बीघा						9 बीघा	17 बिस्वा
6367	जुज	0						0	12 बिस्वा
6368	जुज	29 बीघा						21 बीघा	18 बिस्वा
6369	जुज	17 बीघा						17 बीघा	15 बिस्वा
6370	पुरा	36 बीघा						36 बीघा	
6371	पुरा	36 बीघा						36 बीघा	
6372	पुरा	36 बीघा						36 बीघा	
6373	पुरा	36 बीघा						36 बीघा	
6374	पुरा	36 बीघा						36 बीघा	
6375	पुरा	36 बीघा						36 बीघा	
6376	पुरा	22 बीघा						22 बीघा	10 बिस्वा
6377	पुरा	24 बीघा						24 बीघा	10 बिस्वा
6378	जुज	25 बीघा						24 बीघा	15 बिस्वा
6379	पुरा	24 बीघा						24 बीघा	
6380	पुरा	24 बीघा						24 बीघा	
6381	पुरा	24 बीघा						24 बीघा	
6382	पुरा	16 बीघा						16 बीघा	1 बिस्वा
6383	पुरा	17 बीघा						16 बीघा	1 बिस्वा
6384	पुरा	20 बीघा						24 बीघा	
6385	पुरा	17 बीघा						14 बीघा	18 बिस्वा
6386	पुरा	22 बीघा						22 बीघा	9 बिस्वा
6387	जुज	1 बीघा						1 बीघा	7 बिस्वा
6390	पुरा								16 बिस्वा
6391	पुरा	11 बीघा						15 बीघा	19 बिस्वा
6392	जुज							5 बीघा	4 बिस्वा
6394	पुरा								6 बिस्वा
6395	जुज	15 बीघा						14 बीघा	16 बिस्वा
6396	पुरा	34 बीघा						34 बीघा	6 बिस्वा
6397	पुरा	10 बीघा						18 बीघा	11 बिस्वा
6398	पुरा	21 बीघा						24 बीघा	
6399	पुरा	12 बीघा						12 बीघा	10 बिस्वा

ग्राम मौजा आमेर, जिला जयपुर राजस्व रिकॉर्ड
ग्राम आमेर जिला जयपुर (राज.) संवत् - 2020-2023
मालिक का नाम - वन विभाग राजस्थान जयपुर (सरकारी जंगल)

खसरा नं.	क्षेत्रफल (बीघा)	भूमि किस्म	अन्य विवरण
860	32 बीघा	पहाड़	
861	21 बीघा 19 बिस्वा	पहाड़	
862			
863	35 बीघा 9 बिस्वा	पहाड़	
864	48 बिस्वा	पहाड़	
865	67 बीघा 16 बिस्वा	पहाड़	
866	67 बीघा 14 बिस्वा	पहाड़	
867	63 बीघा 9 बिस्वा	पहाड़	
868	70 बीघा 17 बिस्वा	पहाड़	
869	40 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़	
870	58 बीघा 17 बिस्वा	पहाड़	
871	64 बीघा	पहाड़	
872	64 बीघा	पहाड़	
873	64 बीघा	पहाड़	
874/1	60 बीघा 2 बिस्वा	पहाड़	
875	64 बीघा	पहाड़	
876	64 बीघा	पहाड़	
877	67 बीघा 2 बिस्वा	पहाड़	
878	40 बीघा 6 बिस्वा	पहाड़	
879	64 बीघा 5 बिस्वा	पहाड़	
888	64 बीघा	पहाड़	
889	55 बीघा 15 बिस्वा	पहाड़	
890	61 बीघा 7 बिस्वा	पहाड़	
891	64 बीघा	पहाड़	
892	64 बीघा	पहाड़	
893	64 बीघा	पहाड़	
894	64 बीघा	पहाड़	
895	64 बीघा	पहाड़	
896	64 बीघा	पहाड़	
897/1	26 बीघा 3 बिस्वा	पहाड़	
898/1	2 बीघा 13 बिस्वा	पहाड़	
932/1	110 बीघा 17 बिस्वा	पहाड़	
933/1	12 बिस्वा	गैर मुमकिन दीवार	
936/1	38 बीघा 3 बिस्वा	पहाड़	
937/2	11 बिस्वा	गैर मुमकिन आबादी	

Annex. A/5 (46)

विभागीय कार्यालय

प्र. पत्र प्राप्त होने का दिनांक 01/03/2023
नकल भेजने के दिनांक 01/03/2023
नगरपालिका का दिनांक 01/03/2023
जिला जयपुर
सहस्रीय 265 दर्ज रजि. क्र. 134

आवेदनकर्ता		आवेदन		आवेदन		आवेदन	
क्र. नं.	शेयर	क्र. नं.	शेयर	क्र. नं.	शेयर	क्र. नं.	शेयर
8201	0.33	7262	0.70	8216	0.70	7260	0.70
8202	0.06	7266	0.70	8217	0.70	7261	0.70
8203	0.23	7268	0.70	8218	0.70	7262	0.70
8204	0.73	7269	0.70	8219	0.70	7263	0.70
8205	0.79	7270	0.70	8220	0.70	7264	0.70
8206	0.06	7271	0.70	8221	0.70	7265	0.70
8207	0.05	7272	0.70	8222	0.70	7266	0.70
8208	0.04	7273	0.70	8223	0.70	7267	0.70
8209	0.76	7274	0.70	8224	0.70	7268	0.70
8210	0.02	7275	0.70	8225	0.70	7269	0.70
8211	0.04	7276	0.70	8226	0.70	7270	0.70
8212	0.70	7277	0.70	8227	0.70	7271	0.70
8213	0.04	7278	0.70	8228	0.70	7272	0.70
8214	0.02	7279	0.70	8229	0.70	7273	0.70
8215	0.03	7280	0.70	8230	0.70	7274	0.70

मिलान किया
पंजी सुना

क्र. नं.	शेयर	क्र. नं.	शेयर	क्र. नं.	शेयर	क्र. नं.	शेयर
8231	0.70	8232	0.70	8233	0.70	8234	0.70
8235	0.70	8236	0.70	8237	0.70	8238	0.70
8239	0.70	8240	0.70	8241	0.70	8242	0.70
8243	0.70	8244	0.70	8245	0.70	8246	0.70
8247	0.70	8248	0.70	8249	0.70	8250	0.70
8251	0.70	8252	0.70	8253	0.70	8254	0.70
8255	0.70	8256	0.70	8257	0.70	8258	0.70
8259	0.70	8260	0.70	8261	0.70	8262	0.70
8263	0.70	8264	0.70	8265	0.70	8266	0.70
8267	0.70	8268	0.70	8269	0.70	8270	0.70
8271	0.70	8272	0.70	8273	0.70	8274	0.70
8275	0.70	8276	0.70	8277	0.70	8278	0.70
8279	0.70	8280	0.70	8281	0.70	8282	0.70
8283	0.70	8284	0.70	8285	0.70	8286	0.70
8287	0.70	8288	0.70	8289	0.70	8290	0.70
8291	0.70	8292	0.70	8293	0.70	8294	0.70
8295	0.70	8296	0.70	8297	0.70	8298	0.70
8299	0.70	8300	0.70	8301	0.70	8302	0.70

प्रतिलिपि
राजस्थान सरकार (2.3.23)
राजस्थान - आमेर (जयपुर)

राजस्थान सरकार
भू-प्रबन्धन विभाग
विभागीय निर्देशाुसार
मिलान क्षेत्रफल

ग्राम क-आमेर

ताल्लुका - आमेर

हाल		सादिक		हाल		सादिक		
खसरा नं.	क्षेत्रफल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	
1041	6.36	853/1	110 बीघा 3 बिस्वा	1051	0.05	942	1 बीघा 2 बिस्वा / 4	
1042	11.88	858, 936/1		1052	0.24	941		
1043	11.5	859		1053	0.25	940,941		
1044	8.5	932		1054	0.22	940		1 बीघा 1 बिस्वा / 1
1045	9.57	936/1		1055	0.17	948		3 बिस्वा / 1
1046	0.63	937		1056	0.2	947,948,946		3 बिस्वा / 4
1047	0.25	936		1057	0.4	962,963		
1048	0.08	938		1058	0.01	963		
1049	0.15	939		1059	0.42	951		1 बीघा 2 बिस्वा / 1
1050	0.27	851		1060	0.02	950		
10	49.19	10			10	1.98		10
खसरा नं.	क्षेत्रफल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	खसरा नं.	क्षेत्रफल	
4331	4.62	931	4 बीघा 1 बिस्वा	4346	1	874	6 बीघा	
4332	5.56	931		4347	1.44	919		
4333	1.07	929	4348	0.24	874,919			
4334	0.57	921, 922	4349	2.35	874/1, 919			
4335	0.18	923	4350	1.19	932/1			
4336	3.54	917	42 बीघा 3 बिस्वा / 3	4351	29.81	874/1, 873, 896, 932/1		
4337	0.71	918, 914	2 बीघा 3 बिस्वा / 1	4352	1.5	873		
4338	3.63	917	13 बीघा / 1	4353	14.05	932/2		85 बीघा 1 बिस्वा
4339	3.24	917		4354	10.55	932/1		
4340	0.58	897/2		4355	4	932/1		
4341	4.1	896/1		4356	6	932/1		
4342	4.26	896/1, 882/1, 819		4357	6.16	866, 873	67 बीघा 1 बिस्वा	
4343	0.2	882		4358	6.05	867, 868	63 बीघा	
4344	3.32	920	4359	11.24	867, 866, 864,865,896			
4345	0.76	882	4360	10.05	864, 865			
15	36.34	15		15	105.63			



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आमेर
पटवार हल्का :- आमेर
भू.अभि.नि. :- आमेर
तहसील :- आमेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1718
खाता संख्या पुराना :- 1576

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग राजस्थान सरकार हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	3.1500	गै.मु.पहाड़	3.1500	0.00		
10	12.3400	गै.मु.पहाड़	12.3400	0.00		
1041	6.3600	गै.मु.पहाड़	6.3600	0.00		
1042	11.8800	गै.मु.पहाड़	11.8800	0.00		
1043	11.5000	गै.मु.पहाड़	11.5000	0.00		
1044	8.5000	गै.मु.पहाड़	8.5000	0.00		
1044/9040	0.2600	गै.मु.नला	0.2600	0.00		
1045	9.5700	गै.मु.पहाड़	9.5700	0.00		
1045/9039	0.0400	गै.मु.नला	0.0400	0.00		
1046	0.6300	गै.मु.पहाड़	0.6300	0.00		
1116	3.5000	गै.मु.पहाड़	3.5000	0.00		
2	4.2400	गै.मु.पहाड़	4.2400	0.00		
3	8.4400	गै.मु.पहाड़	8.4400	0.00		
38/9049	0.0600	गै.मु.पहाड़	0.0600	0.00		
39/9048	0.0700	गै.मु.पहाड़	0.0700	0.00		
3967	0.6700	गै.मु.सड़क	0.6700	0.00		
	15.1500	गै.मु.पहाड़	15.1500	0.00		
4027	0.0700	बंजड़	0.0700	0.11		
4027/9905	0.2700	बंजड़	0.2700	0.41		
4027/9942	0.0600	बंजड़	0.0600	0.09		
4099	0.2700	गै.मु.रास्ता	0.2700	0.00		
4124	0.1500	गै.मु.सड़क	0.1500	0.00		
4125	3.5900	गै.मु.पहाड़	3.5900	0.00		
4126	2.9300	गै.मु.पहाड़	2.9300	0.00		
4127	3.8700	गै.मु.पहाड़	3.8700	0.00		
4128	1.7200	गै.मु.पहाड़	1.7200	0.00		
4129	1.0000	गै.मु.पहाड़	1.0000	0.00		
4130	2.8700	गै.मु.पहाड़	2.8700	0.00		
4131	6.5000	गै.मु.पहाड़	6.5000	0.00		
4132	0.1300	गै.मु.सड़क	0.1300	0.00		
42/9047	0.1300	गै.मु.पहाड़	0.1300	0.00		
4341	4.1000	गै.मु.पहाड़	4.1000	0.00		
4342	4.2600	गै.मु.पहाड़	4.2600	0.00		
4345	0.7600	गै.मु.आवादी	0.7600	0.00		



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आमेर
पटवार हल्का :- आमेर
भू.अभि.नि. :- आमेर
तहसील :- आमेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1718
खाता संख्या पुराना :- 1576

4347	1.4400	गै.मु.पहाड़	1.4400	0.00
4348	0.2400	गै.मु.पहाड़	0.2400	0.00
4349	2.3500	गै.मु.पहाड़	2.3500	0.00
4350	1.1900	गै.मु.पहाड़	1.1900	0.00
4351	29.8100	गै.मु.पहाड़	29.8100	0.00
4352	1.5000	गै.मु.पहाड़	1.5000	0.00
4354	10.5500	गै.मु.पहाड़	10.5500	0.00
4355	4.0000	गै.मु.पहाड़	4.0000	0.00
4356	6.0000	गै.मु.पहाड़	6.0000	0.00
4357	6.1600	गै.मु.पहाड़	6.1600	0.00
4358	6.0500	गै.मु.पहाड़	6.0500	0.00
4359	11.2400	गै.मु.पहाड़	11.2400	0.00
4360	10.0500	गै.मु.पहाड़	10.0500	0.00
4361	9.4700	गै.मु.पहाड़	9.4700	0.00
4362	9.9500	गै.मु.पहाड़	9.9500	0.00
4363	12.0600	गै.मु.पहाड़	12.0600	0.00
4364	16.8900	गै.मु.पहाड़	16.8900	0.00
4365	23.1100	गै.मु.पहाड़	23.1100	0.00
4366	12.1900	गै.मु.पहाड़	12.1900	0.00
4367	12.0000	गै.मु.पहाड़	12.0000	0.00
4368	24.7600	गै.मु.पहाड़	24.7600	0.00
4369	17.1900	गै.मु.पहाड़	17.1900	0.00
4370	16.5800	गै.मु.पहाड़	16.5800	0.00
4371	17.5000	गै.मु.पहाड़	17.5000	0.00
4372	12.2900	गै.मु.पहाड़	12.2900	0.00
4373	38.7600	गै.मु.पहाड़	38.7600	0.00
4374	24.1800	गै.मु.पहाड़	24.1800	0.00
4375	16.3000	गै.मु.पहाड़	16.3000	0.00
4376	9.0000	गै.मु.पहाड़	9.0000	0.00
4377	17.8600	गै.मु.पहाड़	17.8600	0.00
4378	14.6300	गै.मु.पहाड़	14.6300	0.00
4379	3.2400	गै.मु.पहाड़	3.2400	0.00
4380	9.7500	गै.मु.पहाड़	9.7500	0.00
4381	8.1900	गै.मु.पहाड़	8.1900	0.00
4382	19.5100	गै.मु.पहाड़	19.5100	0.00
4383	11.5600	गै.मु.पहाड़	11.5600	0.00
4384	13.4600	गै.मु.पहाड़	13.4600	0.00
4385	16.4300	गै.मु.पहाड़	16.4300	0.00



जमाबन्दी (खेवट/खंतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आमेर
पटवार हल्का :- आमेर
भू.अभि.नि. :- आमेर
तहसील :- आमेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1709
खाता संख्या पुराना :- 60

काश्तकार का नाम:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
10/9962	0.0700	गै.मु.पहाड़	0.0700	0.00		नोट नं. 163 से दिनांक 15/01/2020 खसरा संख्या : 8197, 8198
1004	0.0500	गै.मु.वावडी	0.0500	0.00		सभी काश्तकार पर तहसील आदेश क्रमांक/ भू.अ./2020/95 दि.
10046/3121	0.1000	चाही A	0.1000	4.25		15/01/2020 द्वारा गत ख.न. 4589 व 4591 तथा हाल ख.न.
10047/3121	0.2500	चाही A	0.2500	10.63		8197/0.27 व 8198/0.48 किता 2 रकबा 0.75 है. को श्रीमान जिला
10048/3121	0.2100	चाही A	0.2100	8.93		कलक्टर महो. जयपुर के आदेश क्रमांक/ आर/18वी-27/92/उ दि.
10049/3122	0.1800	चाही A	0.1800	7.65		03/08/2002 के द्वारा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ लीज 99
10050/3122	0.3000	चाही A	0.3000	12.75		वर्ष श्री बदरीश तिवाडी पुत्र श्री विशाल तिवाडी जाति
10051/3122	0.3000	चाही A	0.3000	12.75		ब्राह्मण नि. प्लाट न. 4 चितरंजन लेन पृथ्वीराज रोड सी स्कीम
10052/3122	0.0500	चाही A	0.0500	2.13		जयपुर के पक्ष में की हुई है। नोट लगा हुआ है।
1010	0.1500	बारानी 1	0.1500	1.20		नोट नं. 171 से दिनांक 28/12/2020 खसरा संख्या : 8227, 8240
1013	0.0400	बारानी 1	0.0400	0.32		सभी काश्तकार पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेर
1013/9926	0.0200	बारानी 1	0.0200	0.16		के न्यायालय निर्णय दिनांक 10/01/17 दावा स. 67/15 सुखराम
1014	0.2500	बारानी 1	0.2500	2.00		बनाम पप्पूलाल व श्रीमान तहसीलदार महोदय आमेर के आदेश
1017	0.2000	चाही 2	0.1500	3.83		क्रमांक/ कोर्ट/20/426 दि. 17/12/2020 की पालना में प्रार्थी
		जाव 2	0.0500	0.63		द्वारा संलग्न order sheet दि. 06/8/15 से 08/12/20 अनुसार
1018	0.0400	चाही 2	0.0300	0.77		प्रतिवादी गण को पाबंद किया जाता है कि मौके व रिकार्ड की
		जाव 2	0.0100	0.13		यथास्थिति बनाए रखी जावे। नोट लगा हुआ है।
1019	0.0300	चाही 2	0.0200	0.51		नोट नं. 180 से दिनांक 04/08/2021 खसरा संख्या : 8714 सभी
		जाव 2	0.0100	0.13		काश्तकार पर मु. न्यायालय R.A.A जयपुर निर्णय दि. 26/7/21



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- आमेर
पटवार हल्का :- आमेर
भू.अभि.ति. :- आमेर
तहसील :- आमेर
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 1709
खाता संख्या पुराना :- 60

4322	0.4000	गै.मु.सड़क	0.4000	0.00
4324	4.0400	गै.मु.आवादी	4.0400	0.00
4325	0.0600	गै.मु.आवादी	0.0600	0.00
4326	1.9000	गै.मु.आवादी	1.9000	0.00
4327	0.3500	गै.मु.पहाड़	0.3500	0.00
4328	7.8500	गै.मु.आवादी	7.8500	0.00
4329	0.7200	गै.मु.पहाड़	0.7200	0.00
4330	0.1100	गै.मु.आवादी	0.1100	0.00
4331	4.6200	गै.मु.आवादी	4.6200	0.00
4332	5.5600	गै.मु.आवादी	5.5600	0.00
4333/9082	0.1400	गै.मु.रास्ता	0.1400	0.00
4334	0.5700	गै.मु.आवादी	0.5700	0.00
4336	3.5400	गै.मु.तालाब	3.5400	
4336/9083	0.0400	गै.मु.आवादी	0.0400	0.00
4338	3.6300	गै.मु.तालाब	3.6300	
4339	3.2400	गै.मु.तालाब	3.2400	
4340	0.5800	गै.मु.पहाड़	0.5800	0.00
4343	0.2000	गै.मु.पहाड़	0.2000	0.00
4344	3.3200	गै.मु.आवादी	3.3200	0.00
4346	1.0000	गै.मु.पहाड़	1.0000	0.00
4353	14.0500	गै.मु.पहाड़	14.0500	0.00
4409	0.4800	गै.मु.तालाब	0.4800	
4411	0.9100	गै.मु.पहाड़	0.9100	0.00
4416	2.2900	गै.मु.आवादी	2.2900	0.00
4417	0.4400	गै.मु.पहाड़	0.4400	0.00
4418	0.0300	गै.मु.रास्ता	0.0300	0.00
4418/9099	0.0500	गै.मु.पहाड़	0.0500	0.00
4419	0.1100	गै.मु.पहाड़	0.1100	0.00
4421	0.1400	गै.मु.पहाड़	0.1400	0.00
4422	0.0500	गै.मु.पहाड़	0.0500	0.00
4426	2.1600	गै.मु.पहाड़	2.1600	0.00
4427	1.1100	गै.मु.पहाड़	1.1100	0.00
4428	1.2000	गै.मु.पहाड़	1.2000	0.00
4429/10006	0.7000	गै.मु.आवादी	0.7000	0.00
4432	5.6200	गै.मु.पहाड़	5.6200	0.00
4434	0.6000	गै.मु.नाला	0.6000	0.00
4451	0.0100	गै.मु.चाह	0.0100	0.00
4452/9519	0.0800	चाही A	0.0800	3.40

प्रतिलिपि प्राप्त करण का लिए आवेदन-पत्र

(नियम 218)

सेवा में श्रीमान S. C. R. काहाल जयपुर

मुकदमा नम्बर

सीमा

दनाम

याव

किसला सुनवाई की तारीख

सूची में लिखे हुए कागजों की प्रमाणित प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां जो उपरोक्त मुकदमे की गिसल में ही प्रदान करें। इसके हेतु प्रतिलिपि कागज का मूल्य रुपये 500/- पैसे _____ पेस करता हूँ।

आवेदन पत्र साधारण/ आवश्यक या कौन्से कापी है।

* न देव राजेन्द्र तिकाड़ी S.C. शास्त्रमुद्रयात्मक जियाही

सूची

क्र.सं.	कागज का ब्यौरा जिनकी प्रतिलिपि की आवश्यकता है	प्रतिलिपि कितनी चाहिये संख्या	प्रतिलिपि प्राप्त करने का अभिप्राय या प्रार्थना स्वीकार किये जाने के लिए कारण
1	2	3	4
	नकल मिललबन्दो जसा खे. 2010 जे. 34 लब्ध रेक. 932, 932, 932 1 2	1	हाइलायट रिकॉर्ड नहीं है
	आप - आप तह - आप डिमा - आप		

दिनांक 30/01/23

9214886314

हस्ताक्षर प्राची

नोट : * यहां दर्ज किया जाये कि दरखास्त देहन्दा मुकदमा हाजा में क्या हैसियत रखता है अगर वह फरीक मुकदमा न हो तो ऐसा दर्ज किया जाय।

1. आवेदनका पूरा पता

2. अगर आवेदक प्रतिलिपि कागज से मंगवाना चाहता हो तो उचित डाक टिकिट भेजना चाहिये।

2001



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

52

अध्यक्ष राजेन्द्र तिवाड़ी मो.-9214886314	मंत्री हेमराज मीणा मो.-9672000092	कोषाध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा मो.-9887567836
क्रमांक : F-(01)/शिकायत/2022-23/28		दिनांक : 03.04.2023

संवामें,

1. मैम्बर सचिव, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
3. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) अरण्य भवन, झालाना डूंगरी जयपुर।
4. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
5. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर।
6. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर।
8. श्रीमान् उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर।
9. श्रीमान् तहसीलदार, आमेर, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354,4355,4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ:- वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 नाहरगढ़ E.S.Z. अधिसूचना दिनांक 8.03.19 एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन निम्नानुसार है-

1. यह है कि महोदय प्रार्थी वन प्रेमी है तथा एक आर.टी.आ.ई. कार्यकर्ता भी है तथा नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति का अध्यक्ष भी है समिति का उद्देश्य मात्र ओर मात्र पर्यावरण एवं नाहरगढ़ अभ्यारण्य की सुरक्षा एवं विकास का एकमात्र उद्देश्य है, प्रार्थी की संस्था वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं विकास में विशेष रुचि रखती है तथा समय-समय पर वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं विकास हेतु जनजागरूकता अभियान चलाती है, प्रार्थी की संस्था द्वारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य की सुरक्षा एवं गैरवानिकी गतिविधियों को.....Continued.

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

फोटो प्रति

Email ID- edcnaahargarh@gmail.com, Helpline Number- +91-9214886314

उ.स.सू. अधिनियम
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर





रुकवाने हेतु कई प्रकार के सफल एवं कठोर कार्य किये है तथा गैरवानिकी गतिविधियों को प्रकाश में लाकर न्यायालय द्वारा उनको रुकवाया गया है जैसे- नाहरगढ फोर्ट प्रकरण, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा अवैध अतिक्रमण, अभ्यारण्य सीमा में बिना अनुमति के फिल्म सूटिंग के प्रकरण, मन्दिर नाना देवी माता (शहीद वन कर्मी प्रकरण) नवरतन कोठारी प्रकरण में नाहरगढ अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से रात्रि में पार्टी प्रकरण, रीको द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से ओद्योगिकी क्षेत्र की स्थापना प्रकरण, जयगढ फोर्ट प्रकरण, होटल 7 एप्पल प्रकरण, रिसॉर्ट कुंदनवन प्रकरण, पालीवाल होटल प्रकरण, फिल्म शुद्ध देशी रोमांश फिल्म प्रकरण आदि इस प्रकार के अवैध प्रकरणों को माननीय एन.जी.टी. के समक्ष पी.आई.एल. लगाकर प्रकरणों को न सिर्फ उजागर किया अपितु उन अवैध कार्यों का सफलता पूर्वक रुकवाया तथा प्रार्थी द्वारा प्रेषित सभी पी.आई.एल. माननीय एन.जी.टी. द्वारा स्वीकार भी की गई तथा राज्य सरकार पर लापरवाही हेतु जुर्माना भी लगवाया गया है यही नहीं प्रार्थी की संस्था द्वारा वन विभाग में फौले भष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग के मामले लोकायुक्त महोदय के समक्ष उजागर करके 35 आई. एफ.एस. अधिकारियों विरुद्ध विभागीय कार्यावाही प्रस्तावित करवायी गयी है।

2. यह है कि नाहरगढ जीव अभ्यारण्य राज्य आदेश क्रमांक 07(58) क/61 दिनांक 21.11.1961, द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खंड आमेर 54 की भूमि को दिनांक 15.03.1982 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजट अधिसूचना जारी की गयी है तथा राज्य आदेश क्रमांक 11(39) राजस्थान/8/80 दिनांक 22.09.1980 के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबंधों के अधीन उक्त क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसे नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और उक्त अभ्यारण्य क्षेत्र की चारों सीमाओं को चिन्हित किया गया है ओर यह भी स्पष्ट करना होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा वन्य जीव संरक्षण आर6(24)/93/6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्य जीव अभ्याण्ये को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य को उद्धोषित किया गया है तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है। (संलग्नक-1)
3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण- यह है कि महोदय संस्था की जानकारी में लाया गया है कि नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य नाका काला महादेव कार्य क्षेत्र आमेर जयपुर के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर वन खण्ड आमेर-54 के पुराना खसरा नम्बर 932/1 के हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
 प्रो. प्र.
 सहायक वन अधिकारी
 सहायक वन अधिकारी निदेशक, जयपुर



वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जो कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं नाहरगढ़ इको सेंसेटिव अधिसूचना 08.03.2019 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं आदेश दिनांक 04.12.2006 रिट पिटिशन संख्या 407/2004 का प्रतिष्ठान संचालक द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। (फोटोग्राफ संलग्न है)



4. यह है कि महोदय संस्था द्वारा प्रकरण के संबंध में विस्तृत जांच एवं रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया तो आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आये जिसे आपके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। सर्वप्रथम हमारी संस्था द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान राजस्थान स्मॉल स्केल कॉन्टेज इण्डस्ट्री, आमेर का गुगल सुपर इम्पॉज नक्शा निकलवाया गया और पाया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान खसरा नम्बर 4353 क्षेत्रफल 14.05 हैक्टेयर (55.50 बीघा) है। जोकि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अमलदराज है। तत्पश्चात उक्त खसरे का मिलान क्षेत्रफल कलेक्ट्रेट जयपुर से लिया गया तो पाया कि उक्त खसरे का पुराना नम्बर 932/2 है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ना तो पुरानी कोई जमाबंदी है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में इसका कहीं इन्द्राज है और ना ही उक्त खसरे की मौके पर जमीन है। (राजस्व रिपोर्ट प्रति संलग्न) क्योंकि पुराना खसरा नम्बर 932/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अमल दराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 110 बीघा 17 बिस्वा है। (प्रति संलग्न पुरानी जमाबंदी) मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 932/1 का नया खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 है। जिसका क्षेत्रफल 20.55 हैक्टर (लगभग 82 बीघा) है। (प्रति संलग्न वर्तमान जमाबंदी) इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के खसरो एवं वन भूमि के साथ छेड़छाड़ करके

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
कोई प्रति
सहायक अधिकारी
सहायक वन संरक्षण अधिकारी, जयपुर



राजस्व रिकॉर्ड के साथ हेरा-फरी की है तथा वन विभाग की शेष भूमि लगभग 28 बीघा वन भूमि को निकालकर उसे एक नया खसरा नम्बर 932/2 दिया गया, जिसका तत्समय राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई जमाबंदी नहीं थी तथा 932/2 को नया खसरा नम्बर 4353 दिया गया, जोकि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से गैर मुमकिन पहाड़ के नाम से अमलदराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 14.05 हैक्टर (लगभग 55 बीघा) है। (प्रति संलग्न वर्तमान जमाबंदी) इस प्रकार प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 932/2 स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि उक्त खसरे की राजस्व कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार किसी प्रकार की जमाबंदी नहीं है। इस प्रकार जब वन विभाग राजस्व मैप को गूगल मैप पर सुपर इम्पोज किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर राजस्व ग्राम आमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 4353 में स्थित है। जो कि वास्तव में उक्त इण्डस्ट्री पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में स्थित है। जैसा कि हमारे द्वारा पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 4353 का पुराना नम्बर 932/2 है जो कि एक मिथ्या नम्बर है तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का जमाबन्दी रिकॉर्ड इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में आती है, जोकि पूर्ण रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तथा उक्त इण्डस्ट्री के संचालक एवं जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग की मिलीभगत से अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि को क्षति पहुंचायी गयी है तथा वन विभाग के खसराओं का उप विभाजन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की भी अवमानना की गयी है।

5. यह है कि महोदय राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री नाहरगढ़ अभ्यारण्य सीमा के नक्शे के अनुसार पूर्व सीमा में आती है तथा पूर्व सीमा परपल लाईन में दर्शाई गई है जो कि दिल्ली आमेर रोड पर दर्शाई गई है इस प्रकार उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सीमा में आती है साथ ही उक्त प्रतिष्ठान नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के अन्दर आते हैं, इस प्रकार संचालक को अभ्यारण्य सीमा में व्यवसायिक गतिविधि संचालन करने से पूर्व वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी परंतु बिना अनुमति के अभ्यारण्य क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधि हेतु प्रतिष्ठान की स्थापना करना, गोदामों की स्थापना करना, नवनिर्माण करना एवं अतिक्रमण करना स्पष्ट रूप से वन एवं वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम 1972 के उल्लंघन की

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
कॉटेज प्रति
स. लो. प्र. अधिकारी
सहायक वन अधिकारी, जयपुर



श्रेणी में आता है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उलघन है। यहां पर यह तथ्य भी प्रकाश में लाना आवश्यक है कि अभ्यारण्य श्रेत्र में वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत व्यवसायिक खरीद/फरोख्त निषेध है। प्रतिष्ठान संचालक के द्वारा अपराधिक कार्य किया है, तथा भारत सरकार पर्यावरण और वन्यजीव मंत्रालय द्वारा जारी गाईड लाईन दिनांक 19.08.2012 फाईल न. 6-10/2011 WL द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया कि नेशनल पार्क ओर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के अंदर या ईकों सेंसिटिव जोन के अंदर कोई भी व्यवसायिक गतिविधि संचालन करने से पूर्व व्यवसायिक गतिविधि का वाईड लाइफ किलयरेंस नेशनल वाईल्ड लाइफ बोर्ड भारत सरकार नई दिल्ली से करवाना अतिआवश्यक है इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 4. 12.2006 रीट पीटीशीन संख्या 407/2004 में भी वाईल्ड लाइफ किलयरेंस के संबंध में कठोर एवं स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। उक्त प्रतिष्ठान संचालक द्वारा अपने प्रतिष्ठान एवं गोदामों का बिना वाईल्ड लाइफ किलयरेंस के व्यवसायिक गतिविधि करने एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करने उक्त प्रतिष्ठान स्वयं में अवैध गतिविधि की श्रेणी में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस प्रकार के प्रतिष्ठानों को तत्काल प्रभाव से सीज/ध्वस्त किया जाना अभ्यारण्य हित में अतिआवश्यक है।

6. यह कि महोदय सहायक अभियन्ता ई-चतुर्थ जयपुर जे.वि.वि.एन.एल., आमेर जयपुर द्वारा बिना वन विभाग की पूर्व अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान (राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर) आमेर रोड, आमेर में व्यवसायिक अवैध विधुत कनेक्शन नाहरगढ अभ्यारण्य भूमि पर दिया गया जो कि वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लघन की श्रेणी में आता है, यहां पर यह तथ्य प्रकाश में लाना है कि वन विभाग द्वारा पूर्व में पत्रों के माध्यम से सहायक अभियन्ता ई-चतुर्थ जयपुर जे.वि.वि.एन.एल. आमेर जयपुर को स्पष्ट रूप से लिखित निर्देश दिये गये हैं कि बिना वन विभाग की अनुमति के किसी भी प्रकार के घरेलू/व्यवसायिक कनेक्शन जारी नहीं करे परंतु कार्याल सहायक अभियन्ता ई-चतुर्थ जयपुर जे.वि.वि.एन.एल. आमेर जयपुर के द्वारा उक्त आदशों की अवमानना कर रहा है जिसके कारण अभ्यारण्य क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन चरम सीमा पर है। उक्त विभाग का यह कृत्य वन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उलघन की श्रेणी में आता है।
7. यह है कि महोदय व्यवसायिक प्रतिष्ठान (राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर) आमेर रोड आमेर वाईल्ड लाइफ किलरेंस नहीं होने की स्थिति में नाहरगढ अभ्यारण्य को भारी राजस्व का भी नुकसान हुआ है। जो कि संचालक के द्वारा जान बुझ कर पहुंचाया गया है।

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

प्रति

राज्य सहायक अभियन्ता

सहायक वन संचालक विज्ञानघर, जयपुर



अतः श्रीमान से निवेदन है कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान (राजस्थान स्मॉल स्केल कॉंटेज इण्डस्ट्री, आमेर) आमेर रोड, आमेर जयपुर को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण से मुक्त करवाया जावे तथा वन विभाग के खसरों का पुनः वन विभाग को लौटाया जावे तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक के विरुद्ध वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत प्रकरण दर्ज करके सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जावे तथा प्रतिष्ठान में स्थित समस्त सामग्री को सीज करके नियमानुसार कार्यवाही की जावे तथा उसका वाईल्ड लाईफ क्लीयरेंस ना हो तथा वैधानिक अनुमतिया वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त ना हो तब तक उक्त प्रतिष्ठान एवं उसके गोदामों को सीज किया जावे तथा विद्युत संबंध विच्छेद करवाये जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वन भूमि के खसरों के साथ किये गये उप विभाजनों को संशोधित करवाकर दूरस्त करवाया जावे।

धन्यवाद,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष

(राजेन्द्र तिवाड़ी)
नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक : F-(01)/शिकायत/2022-23/29-36

दिनांक : 03.04.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामहल जोन नगर निगम हैरिटेज जयपुर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, आमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त खसरों का राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने का कष्ट करे।
3. श्रीमान सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं गोदामों ओर नवनिर्मित गोदाम के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यावाही करने का कष्ट करे।
4. सहायक अभियन्ता ई-चतुर्थ जयपुर जे.वि.वि.एन.एल. आमेर जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय के द्वारा जारी अवैध विद्युत कनेक्शन व्यवसायिक प्रतिष्ठान (राजस्थान स्मॉल स्केल कॉंटेज इण्डस्ट्री, आमेर) आमेर रोड, आमेर जयपुर एवं उसके गोदामों का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करें एवं की गई कार्यावाही से प्रार्थी की संस्था को अवगत करवाने का कष्ट करें।
5. श्रीमान सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर निवेदन है कि बिना बोर्ड की अनुमति के फैलाये गये प्रदूषण के संबंध में कानूनी कार्यावाही की जावे।
6. श्रीमान पार्षद, वार्ड नम्बर-1 (आमेर), नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
प्रति
राजेन्द्र तिवाड़ी
सहायक वन संरक्षक विभागाध्यक्ष, जयपुर



7. संचालक, राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर रोड़, आमेर, जयपुर।
8. श्री कृष्ण कुमार शर्मा समिति सलाहकार एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को मूल पत्रावली संलग्न कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण को एन.जी.टी. सेन्ट्रल जोन भोपाल के समक्ष पेश करने की कार्यावाही करने की कृपा करे।
9. रक्षित पत्रावली

अध्यक्ष

राजेन्द्र तिवाडी *राजेन्द्र तिवाडी*
(राजेन्द्र तिवाडी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति



सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति

स.सो. *राजेन्द्र तिवाडी*
सहायक, वन स- *राजेन्द्र तिवाडी*
नाहरगढ़, जयपुर



Annex. A/8

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर
रामनिवास बाग जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2617319

ई-मेल dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 16 () सर्वे/उवस./जू/2022-23/3301-02

दिनांक: 25.4.23

निमित्त,

1. सहायक वन संरक्षक
नाहरगढ अभयारण्य।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नाहरगढ अभयारण्य।

विषय-नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर के पुराना खसरा न0 932/1 एवं हाल खसरा न0 4354,4355,4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधि करने बाबत।

सन्दर्भ-श्री राजेन्द्र तिवाडी, नाहरगढ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति के पत्रांक 28 दिनांक 03.04.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर के पुराना खसरा न0 932/1 एवं हाल खसरा न0 4354,4355,4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधि करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। अतः संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिकायत के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट मय टिप्पणी सहित इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कपिल चन्द्रवाल) IFS

उप वन संरक्षक(वन्यजीव)

चिडियाघर, जयपुर

कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य

क्रमांक:

दिनांक

नोटिस

निमित्त,
मैनेजर/संचालक,
राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री,
आमेर जयपुर-302028

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354,4355,4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधि करने बाबत।

सन्दर्भ:- नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति जरिये अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा प्रेषित शिकायत के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति जरिये अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा एक लिखित शिकायत प्रेषित कर अद्योस्ताक्षरकर्ता को इस बात से अवगत करवाया गया कि आपके द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य नाका काला महादेव कार्य क्षेत्र आमेर जयपुर के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर वन खण्ड आमेर-54 के पुराना खसरा नम्बर 932/1 के हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जो कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं नाहरगढ़ इको सेंसेटिव अधिसूचना 08.03.2019 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं आदेश दिनांक 04.12.2006 रिट पिटिशन संख्या 407/2004 का प्रतिष्ठान संचालक द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर का गुगल सुपर इम्पॉज नक्शा निकलवाया गया और पाया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान खसरा नम्बर 4353 क्षेत्रफल 14.05 हैक्टर (55.50 बीघा) है। जोकि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अमलदराज है। तत्पश्चात उक्त खसरे का मिलान क्षेत्रफल कलेक्ट्रेट जयपुर से लिया गया तो पाया कि उक्त खसरे का पुराना नम्बर 932/2 है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ना तो पुरानी कोई जमाबंदी है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में इसका कहीं इन्द्राज है और ना ही उक्त खसरे की मीके पर जमीन है। क्योंकि पुराना खसरा नम्बर 932/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अमल दराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 110 बीघा 17 बिस्वा है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 932/1 का नया खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 है। जिसका क्षेत्रफल 20.55 हैक्टर (लगभग 82 बीघा) है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के खसरो एवं वन भूमि के साथ छेड़छाड़ करके राजस्व रिकॉर्ड के साथ हेरा-फेरी की है तथा वन विभाग की शेष भूमि लगभग 28 बीघा वन भूमि को निकालकर उसे एक नया खसरा नम्बर 932/2 दिया गया, जिसका तत्समय राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई जमाबंदी नहीं थी तथा 932/2 को नया खसरा नम्बर 4353 दिया गया, जोकि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से गैर मुमकिन पहाड़ के नाम से अमलदराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 14.05 हैक्टर (लगभग 55 बीघा) है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 932/2 स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि उक्त खसरे की राजस्व कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार किसी प्रकार की जमाबंदी नहीं है। इस प्रकार जब वन विभाग राजस्व मैप को गुगल मैप पर सुपर इम्पोज किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर राजस्व ग्राम आमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 4353 में स्थित है। जो कि वास्तव में उक्त इण्डस्ट्री पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में स्थित है। जैसा कि हमारे द्वारा पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 4353 का पुराना नम्बर 932/2 है जो कि एक मिथ्या नम्बर है तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का जमाबंदी रिकॉर्ड इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में आती है, जोकि पूर्ण रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तथा उक्त इण्डस्ट्री के संचालक एवं जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग की मिलीभगत से अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि को क्षति पहुँचायी गयी है तथा वन विभाग के खसरो का उप विभाजन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की भी अवमानना की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का इकोसंसेटिव जोन अधिसूचित किया था जिसके अनुसार व्यवसायिक नवनिर्माण प्रतिबंधित है। तथा यह तथ्य भी प्रकाश में लाया गया है कि आपके प्रतिष्ठान से होने वाले शोर-शराबे डीजे सिस्टम की आवाजों से वहाँ पर विचरण करने वाले वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा अभ्यारण्य क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है।

केन्द्र सरकार ने अपने आदेश संख्या: एफ नो 06.10.2011 डब्ल्यू. एल. दिनांक 19.12.2012 द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य/नेशनल पार्क की सीमाओं से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर संचालित की जाने वाली समस्त व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में गाइड लाइन जारी की गयी थी जिनके अनुसार किसी भी नेशनल पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी में संचालित होने वाले सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वाइल्ड लाइफ क्लैरिंस अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत रिटपिटिशन (सिविल) संख्या 460/2004 में निर्देशित

किया है कि अभ्यारण्य की सीमा के निकट स्थित सभी व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से क्लीरेंस लेना आवश्यक है। आप द्वारा संचालित व्यवसायिक गतिविधियों उक्त गाइड लाइनों का व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

श्री तिवाड़ी द्वारा अपनी शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों/फोटोग्राफ से प्रथम दृष्टया से यह सिद्ध हो जाता है कि आप द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के नाहरगढ़ अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि एवं अभ्यारण्य भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके व्यवसायिक गतिविधियों का बिना वन विभाग की सक्षम अनुमति प्राप्त किये का संचालन किया जा रहा है। जो कि वन एवं वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 व नाहरगढ़ ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 का उल्लंघन किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 व केन्द्र सरकार की अधिसूचना 19.12.2012 का उल्लंघन किया गया है। अतः इस क्रम में क्यो नहीं आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सीज/ध्वस्त कर दिया जावे।

अतः आपको जरिये नोटिस निर्देशित किया जाता है व आपसे यह अपेक्षा कि जाती है कि आप नोटिस प्राप्ति से पाँच दिवस में निम्न दस्तावेज अद्योस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

1. आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के समस्त मालिकाना दस्तावेज।
2. आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालन हेतु कौन-कौन से विभाग/कार्यालयों से अनुमति प्राप्त की है तो अनुमति की प्रति प्रेषित करें तथा पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से प्राप्त एनओसी की प्रमाणित प्रति प्रेषित करें।
3. वन विभाग से प्राप्त एन.ओ.सी. की प्रति प्रेषित करें।
4. आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन कब से किया जा रहा है, इसके साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करें।

अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेशों तक कि सी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों संचालित नहीं करें तथा उक्त व्यवसायिक संचालन को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जावे। तथा उक्त समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवायें बिना परिसर का किसी रूप वाणिज्य के रूप में कोई भी गतिविधियों का संचालन नहीं करें अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यावाही की जावेगी।

सहायक वन संरक्षक
वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज0)

दिनांक 2.5.20

क्रमांक: 547-53

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को आपके पत्रांक 3301-02 दिनांक 25/1/23 के क्रम में।
2. श्रीमान् उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-2, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आपके राजस्व रिकॉर्ड का पुनः निरीक्षण कर रिपोर्ट एवं उक्त प्रतिष्ठान को जारी आवंटन पत्र एवं नोटशीट की प्रमाणित पत्रावली की छायाप्रति प्रेषित करने का श्रम करें।
3. श्रीमान् तहसीलदार आमेर जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्वत 2017 ग्राम आमेर तहसील आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932, 932/1, 932/2 की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा उक्त परिसर का संयुक्त सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट अद्योस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव नाहरगढ़ जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संचालित राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जयपुर में हो रही व्यवसायिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जावे एवं उक्त आदेशों की पालना नहीं होने पर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा प्रतिष्ठान को सीज करने की कार्यवाही की जावे तथा तहसीलदार आमेर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रेषित करावे।
5. वनपाल नाका काला महादेव रैंज नाहरगढ़ जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संचालित राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जयपुर हो रही व्यवसायिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जावे एवं उक्त आदेशों की पालना नहीं होने पर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा प्रतिष्ठान को सीज करने की कार्यवाही की जावे तथा तहसीलदार आमेर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रेषित करावे।
6. नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति जरिये अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज पाँच दिवस के भीतर अद्योस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड पत्रावली।

सहायक वन संरक्षक
वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज0)

Annex A/10



कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, राजस्थान, जयपुर

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2700151

ई-मेल: ccfwl.jpr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 3(223) परिवाद/मुवसंवजी/2022-23/ 06
निमित्त,

दिनांक : 05-05-2023

उप वन संरक्षक(वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354,4355,4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधि करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री राजेन्द्र तिवाडी, 29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर का पत्र 28 दिनांक 03.04.2023 द्वारा परिवाद नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं गैर वानिकी गतिविधियां करने के संबंध में प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त परिवाद की छाया प्रति संलग्न कर लेख है कि परिवाद के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(पी. कथिरवेल)
मुख्य वन संरक्षक
(वन्यजीव), जयपुर



सि
Kathiravel
10/5

Signature valid

Digitally signed by Kathiravel Palanisamy
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.05.04 18:37:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3764032

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति

स.तो.सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिडियाघर, जयपुर



कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य

क्रमांक:

दिनांक

अंतिम नोटिस

निमित्त,
मैनेजर/संचालक,
राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री,
आमेर जयपुर-302028

21/5/23
30/5

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354,4355,4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधि करने बाबत।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी नोटिस क्रमांक 546 दिनांक 2.5.23 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति जरिये अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा एक लिखित शिकायत प्रेषित कर अद्योस्ताक्षरकर्ता को इस बात से अवगत करवाया गया कि आपके द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य नाका काला महादेव कार्य क्षेत्र आमेर जयपुर के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर वन खण्ड आमेर-54 के पुराना खसरा नम्बर 932/1 के हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जो कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं नाहरगढ़ इको सेंसेटिव अधिसूचना 08.03.2019 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं आदेश दिनांक 04.12.2006 रिट पिटिशन संख्या 407/2004 का प्रतिष्ठान संचालक द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर का गुगल सुपर इम्पोज नक्शा निकलवाया गया और पाया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान खसरा नम्बर 4353 क्षेत्रफल 14.05 हैक्टर (55.50 बीघा) है। जोकि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अमलदराज है। तत्पश्चात उक्त खसरे का मिलान क्षेत्रफल कलेक्ट्रेट जयपुर से लिया गया तो पाया कि उक्त खसरे का पुराना नम्बर 932/2 है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ना तो पुरानी कोई जमाबंदी है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में इसका कहीं इन्द्राज है और ना ही उक्त खसरे की मौके पर जमीन है। क्योंकि पुराना खसरा नम्बर 932/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अमल दराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 110 बीघा 17 बिसवा है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 932/1 का नया खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 है। जिसका क्षेत्रफल 20.55 हैक्टर (लगभग 82 बीघा) है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के खसरो एवं वन भूमि के साथ छेड़छाड़ करके राजस्व रिकॉर्ड के साथ हेरा-फेरी की है तथा वन विभाग की शेष भूमि लगभग 28 बीघा वन भूमि को निकालकर उसे एक नया खसरा नम्बर 932/2 दिया गया, जिसका तत्समय राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई जमाबंदी नहीं थी तथा 932/2 को नया खसरा नम्बर 4353 दिया गया, जोकि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से गैर मुमकिन पहाड़ के नाम से अमलदराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 14.05 हैक्टर (लगभग 55 बीघा) है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 932/2 स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि उक्त खसरे की राजस्व कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार किसी प्रकार की जमाबंदी नहीं है। इस प्रकार जब वन विभाग राजस्व मैप को गूगल मैप पर सुपर इम्पोज किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर राजस्व ग्राम आमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 4353 में स्थित है। जो कि वास्तव में उक्त इण्डस्ट्री पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में स्थित है। जैसा कि हमारे द्वारा पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 4353 का पुराना नम्बर 932/2 है जो कि एक मिथ्या नम्बर है तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का जमाबन्दी रिकॉर्ड इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में आती है, जोकि पूर्ण रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तथा उक्त इण्डस्ट्री के संचालक एवं जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग की मिलीभगत से अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि को क्षति पहुंचायी गयी है तथा वन विभाग के खसरो का उप विभाजन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की भी अवमानना की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का इकोसेंसेटिव जोन अधिसूचित किया था जिसके अनुसार व्यवसायिक नवनिर्माण प्रतिबंधित है। तथा यह तथ्य भी प्रकाश में लाया गया है कि आपके प्रतिष्ठान से होने वाले शोर-शराबे डीजे सिस्टम की आवाजों से वहां पर विचरण करने वाले वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा अभ्यारण्य क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है।

केन्द्र सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ नो 06.10.2011 डब्ल्यू.एल. दिनांक 19.12.2012 द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य/नेशनल पार्क की सीमाओं से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर संचालित की जाने वाली समस्त व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में गाइड लाइन जारी की गयी थी जिनके अनुसार किसी भी नेशनल पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी में संचालित होने वाले सभी व्यवसायिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से वाइल्ड लाइफ क्लेरेंस अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत रिटपिटिशन (सिविल) संख्या 460/2004 में निर्दिष्ट किया है कि अभ्यारण्य की सीमा के निकट स्थित सभी व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

प्रति

सहायक वन संरक्षक विड़ियाघर, जयपुर

2190
31/5/23

से क्लीरेंस लेना आवश्यक है। आप द्वारा संचालित व्यवसायिक गतिविधियाँ उक्त गाइड लाइनों का व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

श्री तिवाडी द्वारा अपनी शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों/फोटोग्राफ से प्रथम दृष्टया से यह सिद्ध हो जाता है कि आप द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के नाहरगढ़ अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि एवं अभ्यारण्य भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके व्यवसायिक गतिविधियों का बिना वन विभाग की सक्षम अनुमति प्राप्त किये का संचालन किया जा रहा है। जो कि वन एवं वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 व नाहरगढ़ ईको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना दिनांक 08.03.2019 का उल्लंघन किया गया है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 व केन्द्र सरकार की अधिसूचना 19.12.2012 का उल्लंघन किया गया है। अतः इस क्रम में क्यों नहीं आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सीज/ध्वस्त कर दिया जावे। इस संदर्भ में आपको इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक 546 दिनांक 2.5.23 द्वारा सूचित किया गया था कि आप पाँच दिवस में अपना स्पष्टीकरण एवं दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे, परंतु आप द्वारा कार्यालय के नोटिस की अवमानना की गई तथा आदिनांक तक भी आपका इस कार्यालय को न तो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ और न ही दस्तावेज प्राप्त हुए। इससे प्रतीत होता है कि परिवारी द्वारा लगाये गये आरोप सही है। अतः इस अंतिम नोटिस द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है व आपसे यह अपेक्षा कि जाती है कि आप नोटिस प्राप्ति से पाँच दिवस में निम्न दस्तावेज अद्योस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

1. आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के समस्त मालिकाना दस्तावेज।
2. आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालन हेतु कौन-कौन से विभाग/कार्यालयों से अनुमति प्राप्त की है तो अनुमति की प्रति प्रेषित करे तथा पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड से प्राप्त एनओसी की प्रमाणित प्रति प्रेषित करें।
3. वन विभाग से प्राप्त एन.ओ.सी. की प्रति प्रेषित करे।
4. आपके व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन कब से किया जा रहा है, इसके साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करें।

अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आगामी आदेशों तक कि सी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं करे तथा उक्त व्यवसायिक संचालन को तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जावे। तथा उक्त समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवायें बिना परिसर का किसी रूप वाणिज्य के रूप में कोई भी गतिविधियों का संचालन नहीं करे अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।


सहायक वन संरक्षक
वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज0)

दिनांक 24-5-23

क्रमांक: 600-605

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान् उप वन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान् उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन-2, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में आपके राजस्व रिकॉर्ड का पुनः निरीक्षण कर रिपोर्ट एवं उक्त प्रतिष्ठान को जारी आवंटन पत्र एवं नोटशीट की प्रमाणित पत्रावली की छायाप्रति प्रेषित करने का श्रम करें।
3. श्रीमान् तहसीलदार आमेर जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सम्वत 2017 ग्राम आमेर तहसील आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932, 932/1, 932/2 की जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा उक्त परिसर का संयुक्त सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट अद्योस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करें।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव नाहरगढ़ जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संचालित राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जयपुर में हो रही व्यवसायिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जावे एवं उक्त आदेशों की पालना नहीं होने पर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा प्रतिष्ठान को सीज करने की कार्यवाही की जावे तथा तहसीलदार आमेर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रेषित करावे। तथा पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
5. वनपाल नाका काला महादेव रैंज नाहरगढ़ जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संचालित राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जयपुर हो रही व्यवसायिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जावे एवं उक्त आदेशों की पालना नहीं होने पर संचालक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावे तथा प्रतिष्ठान को सीज करने की कार्यवाही की जावे तथा तहसीलदार आमेर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रेषित करावे। तथा पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में आपके कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत कराने का श्रम करावें।
6. गार्ड पत्रावली।


सहायक वन संरक्षक
वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज0)

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
प्रति

सहायक वन संरक्षक, जयपुर

कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य

क्रमांक 667

दिनांक 14/6/23

तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट

निमित्त,

वन संरक्षक,
वन्य जीव, चिड़ियाघर,
जयपुर, राज.

19/6

विषय:- नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर के पुराना खसरा नंबर 932/1 एवं हाल खसरा नंबर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, आमेर जिला-जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर-वानिकी गतिविधि करने बाबत।

सन्दर्भ:- कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर, जयपुर के पत्रांक 3301-02 दिनांक 25.04.2023 के क्रम में विस्तृत जांच रिपोर्ट वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महोदय,

यह है कि नाहरगढ़ जीव अभ्यारण्य राज्य आदेश क्रमांक 07(58) क/61 दिनांक 21.11.1961, द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खंड आमेर 54 की भूमि को दिनांक 15.03.1982 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजट अधिसूचना जारी की गयी है तथा राज्य आदेश क्रमांक 11(39) राजस्थान/8/80 दिनांक 22.09.1980 के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के उपबंधों के अधीन उक्त क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जिसे नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और उक्त अभ्यारण्य क्षेत्र की चारों सीमाओं को चिह्नित किया गया है और यह भी स्पष्ट करना होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा वन्य जीव संरक्षण आर 6(24)/93/6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य को अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को उद्घोषित किया गया है तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है।


नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं विकास समिति जरिये अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक एफ.-01/शिकायत/2022-23/28 दिनांक 03.04.2023 के माध्यम से एक लिखित शिकायत कार्यालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार एवं सेन्ट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व वन विभाग के उच्च कार्यालयों एवं आपके कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जिसके सन्दर्भ में आपके कार्यालय के पत्रांक 104-05 दिनांक 05.01.2023 के द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय वन्यजीव अधिकारी नाहरगढ़ को प्रकरण की विस्तृत जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके सन्दर्भ में मुझ अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेकर विस्तृत जांच रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। प्रकरण के वास्तविक तथ्य निम्न प्रकार है -

1. नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति जरिये अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवाड़ी द्वारा अपनी शिकायत में लेख किया कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य नाका काला महादेव रैंज-नाहरगढ़ कार्य क्षेत्र आमेर जयपुर के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर वन खण्ड आमेर-54 के पुराना खसरा नम्बर 932/1 के हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जो कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं नाहरगढ़ इको सेंसेटिव अधिसूचना 08.03.2019 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं आदेश दिनांक 04.12.2006 रिट पिटिशन संख्या 407/2004 का प्रतिष्ठान संचालक द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर का गुगल सुपर इम्पॉज नक्शा निकलवाया गया और पाया कि उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान खसरा नम्बर 4353 क्षेत्रफल 14.05 हैक्टेयर (55.50 बीघा) है। जोकि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अमलदराज है। तत्पश्चात उक्त खसरे का मिलान क्षेत्रफल कलेक्ट्रेट जयपुर से लिया गया तो पाया कि उक्त खसरे का पुराना नम्बर 932/2 है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ना तो पुरानी कोई जमाबंदी है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

के तहत प्रमाणित

सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर



में इसका कहीं इन्द्राज है और ना ही उक्त खसरे की मोक़े पर जमीन है। क्योंकि पुराना खसरा नम्बर 932/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अमल दराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 110 बीघा 17 बिस्वा है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 932/1 का नया खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 है। जिसका क्षेत्रफल 20.55 हैक्टर (लगभग 82 बीघा) है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के खसरों एवं वन भूमि के साथ छेड़छाड़ करके राजस्व रिकॉर्ड के साथ हेरा-फेरी की है तथा वन विभाग की शेष भूमि लगभग 28 बीघा वन भूमि को निकालकर उसे एक नया खसरा नम्बर 932/2 दिया गया, जिसका तत्समय राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई जमाबंदी नहीं थी तथा 932/2 को नया खसरा नम्बर 4353 दिया गया, जोकि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से गैर मुमकिन पहाड़ के नाम से अमलदराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 14.05 हैक्टर (लगभग 55 बीघा) है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 932/2 स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि उक्त खसरे की राजस्व कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार किसी प्रकार की जमाबंदी नहीं है। इस प्रकार जब वन विभाग राजस्व मैप को गूगल मैप पर सुपर इम्पोज किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर राजस्व ग्राम आमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 4353 में स्थित है। जो कि वास्तव में उक्त इण्डस्ट्री पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में स्थित है। जैसा कि हमारे द्वारा पूर्व में वर्णन किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 4353 का पुराना नम्बर 932/2 है जो कि एक मिथ्या नम्बर है तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का जमाबन्दी रिकॉर्ड इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में आती है, जोकि पूर्ण रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तथा उक्त इण्डस्ट्री के संचालक एवं जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्व विभाग की मिलीभगत से अभ्यारण्य की आरक्षित वन भूमि को क्षति पहुंचायी गयी है तथा वन विभाग के खसरों का उप विभाजन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की भी अवमानना की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का इकोसंसेटिव जोन अधिसूचित किया था जिसके अनुसार व्यवसायिक नवनिर्माण प्रतिबंधित है। तथा यह तथ्य भी प्रकाश में लाया गया है कि प्रतिष्ठान से होने वाले शोर-शराबे डीजे सिस्टम की आवाजों से वहां पर विचरण करने वाले वन्यजीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा अभ्यारण्य क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है। उक्त शिकायत की प्रति समिति अध्यक्ष श्री तिवाड़ी द्वारा मैम्बर सचिव, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) चाणक्य भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्य जीव प्रभाग प्रभारी पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली, श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर, श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर, श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर, श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर, श्रीमान् उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर, श्रीमान् तहसीलदार आमेर, उपायुक्त आमेर हवामहल जोन, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर, श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, आमेर, श्रीमान् सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़, सहायक अभियन्ता ई-चतुर्थ जयपुर जे.वि.वि.एन.एल. आमेर, जयपुर, श्रीमान् सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं श्रीमान् पार्श्व, वार्ड नंबर-1 आमेर, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। प्रति संलग्न-1

2. यह कि उक्त शिकायत के क्रम में कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 3301-02 दिनांक 25.04.2023 द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता व क्षेत्रीय वन अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मय टिप्पणी चाही गई है। प्रति संलग्न-2
3. यह कि उक्त शिकायत के क्रम में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्य जीव नाहरगढ़ जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस क्रमांक 546 दिनांक 02.05.2023 द्वारा मैनेजर संचालक राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज आमेर जयपुर को नोटिस जारी कर 4 बिंदुओं पर जवाब/स्पष्टीकरण चाहा गया था। निर्धारित समयवधि 05 दिवस में चाहा गया था जो निम्न प्रकार था:- 1. आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान के समस्त दस्तावेज 2. आपके व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन हेतु कौन-कौनसे विभाग/कार्यालय से अनुमति प्राप्त की है, उन अनुमतियों की प्रमाणित प्रति तथा पॉल्यूशन कंट्रोल

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

फोटो प्रति

स.ता.रा. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर

बोर्ड से प्राप्त एनओसी की प्रमाणित प्रति 3. वन विभाग से प्राप्त एनओसी की प्रमाणित प्रति 4. व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन कब से किया जा रहा है इसके साथ दस्तावेज तथा नोटिस में यह भी निर्देशित किया गया था आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं करें तथा संचालित गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोक दें। उक्त समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराये बिना परिसर में वाणिज्य गतिविधियां नहीं करें। जिसके क्रम में क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव नाहरगढ़ को निर्देशित किया गया था कि उक्त परिसर में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जावे तथा उक्त आदेशों की पालना नहीं होने पर संचालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावे तथा प्रतिष्ठान को सीज करने की कार्रवाई की जावे तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि तहसीलदार आमेर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर संयुक्त सर्वे रिपोर्ट प्रेषित करावें। परंतु क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव नाहरगढ़ व वनपाल नाका काला महादेव द्वारा नोटिस में उल्लेखित निर्देशों की पालना नहीं की गई जो कि उच्च कार्यालय के निर्देशों की अवमानना की श्रेणी में आता है। क्षेत्रीय वन अधिकारी व वनपाल नाका काला महादेव द्वारा जांच में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया तथा मैनेजर/संचालक राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर द्वारा नोटिस की पालना में न तो अपना जवाब प्रेषित किया गया न ही कोई दस्तावेज प्रेषित किये गये तथा न ही अपने प्रतिष्ठान में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को रोका गया। इस प्रकार संचालक द्वारा जानबूझकर राजकीय नोटिस की अवमानना की गई तत्पश्चात् निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय द्वारा पुनः अंतिम नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक क्रमांक 599 दिनांक 24.05.2023 संचालक मैनेजर राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री को अंतिम अवसर देते हुए 05 दिवस में जवाब/स्पष्टीकरण चाहा गया था जो कि संचालक द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी जवाब प्रेषित नहीं किया गया। उक्त दोनों नोटिसों की प्रति संबंधित विभागों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी। परंतु किसी भी विभाग/कार्यालय द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई तथा जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया।

4. अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया और पाया कि राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर, सागर रोड एक विशाल व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसमें कई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां की जाती हैं। उक्त प्रतिष्ठान नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अनुमोदित नक्शे के अनुसार पूर्वी सीमा के अंदर आता है और पूर्वी सीमा पर्पल लाइन से अभ्यारण्य सीमा दर्शाई गई है आमेर-दिल्ली रोड। इस प्रकार उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य व ईको-सेंसिटिव जोन सीमा के अंदर स्थित है। उक्त प्रतिष्ठान बहुमंजिला पक्के निर्माण से निर्मित है। जहां तक राजस्व रिकॉर्ड के प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षण से स्थिति सुस्पष्ट होती है कि उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मौजा आमेर वन खण्ड आमेर-54 के पुराना खसरा नम्बर 932/1 के हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना करके गैर वानिकी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जो कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं नाहरगढ़ इको सेंसिटिव अधिसूचना 08.03.2019 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 एवं आदेश दिनांक 04.12.2006 रिट पिटिशन संख्या 407/2004 का प्रतिष्ठान संचालक द्वारा स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, आमेर का गुगल सुपर इम्पॉज नक्शा निकलवाया गया और पाया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान खसरा नम्बर 4353 क्षेत्रफल 14.05 हैक्टेयर (55.50 बीघा) है। जोकि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अमलदराज है। तत्पश्चात् उक्त खसरे का मिलान क्षेत्रफल कलेक्ट्रेट जयपुर से लिया गया तो पाया कि उक्त खसरे का पुराना नम्बर 932/2 है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ना तो पुरानी कोई जमाबंदी है और ना ही राजस्व रिकॉर्ड में इसका कहीं इन्द्राज है और ना ही उक्त खसरे की मौके पर जमीन है। क्योंकि पुराना खसरा नम्बर 932/1 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वन विभाग के नाम अमल दराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 110 बीघा 17 बिस्वा है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 932/1 का नया खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 है। जिसका क्षेत्रफल 20.55 हैक्टर (लगभग 82 बीघा) है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के खसरा एवं वन भूमि के साथ छेड़छाड़ करके राजस्व रिकॉर्ड के साथ हेरा-फेरी की है तथा वन विभाग की शेष भूमि लगभग 28 बीघा वन भूमि को निकालकर उसे एक नया खसरा नम्बर 932/2 दिया गया, जिसका तत्समय

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
 फोटो प्रति
 स. लो. सु. वि. वि. वि.
 सहायक वन संचालक विभाग, जयपुर


राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई जमाबंदी नहीं थी तथा 932/2 को नया खसरा नम्बर 4353 दिया गया, जोकि वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से गैर मुमकिन पहाड़ के नाम से अमलदराज है, जिसका कुल क्षेत्रफल 14.05 हैक्टर (लगभग 55 बीघा) है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही खसरा नम्बर 932/2 स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि उक्त खसरे की राजस्व कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार किसी प्रकार की जमाबंदी नहीं है। इस प्रकार जब वन विभाग राजस्व मैप को गूगल मैप पर सुपर इम्पोज किया गया तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर राजस्व ग्राम आमेर के वर्तमान खसरा नम्बर 4353 में स्थित है। जो कि वास्तव में उक्त इण्डस्ट्री पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में स्थित है। जैसा कि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 4353 का पुराना नम्बर 932/2 है जो कि एक मिथ्या नम्बर है तथा उसका राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का जमाबन्दी रिकॉर्ड इन्द्राज नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री, आमेर नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में आती है, जोकि पूर्ण रूप से अतिक्रमण की श्रेणी में आती है। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 के तहत अभ्यारण्य क्षेत्र में व्यावसायिक खरीद-फरोख्त निषेध है। प्रतिष्ठान संचालक द्वारा अधिनियम की अवमानना की गई है। भारत सरकार पर्यावरण वन्य जीव मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 19.08.2012 फाईल नंबर 6/10/11/WL द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया कि नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के अंदर या ईको-सेंसिटिव जोन के अंदर कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने से पूर्व व्यावसायिक गतिविधि का वाइल्डलाइफ क्लीयरेंस नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड नई दिल्ली से करवाना आवश्यक है। इसी क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 04.12.2006 रिट पिटीशन संख्या 407/2004 में भी वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस के संबंध में कठोर एवं स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। EIA की अधिसूचना 2006 के अनुसार भी पर्यावरण स्वीकृति को आवश्यक है। संलग्न-3

5. यह है कि महोदय संचालक मैनेजर राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इण्डस्ट्री आमेर द्वारा नोटिस एवं अंतिम नोटिस दिये जाने के पश्चात् भी अपना जवाब/स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्रेषित करने में असफल रहे। इससे प्रतीत होता है कि संचालक के पास अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के न तो स्वामित्व संबंधी दस्तावेज है और न ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन हेतु वन विभाग, पर्यावरण विभाग नई दिल्ली व नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अनुमति प्राप्त है। उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान का वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस कराया गया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वयं में ही अवैध है क्योंकि अभ्यारण्य सीमा में व्यावसायिक प्रतिष्ठान निषेध है।

अनुशांषा- सम्पूर्ण प्रकरण के वास्तविक तथ्यों, मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु एवं नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की ईको सेंसिटिव जोन अधिसूचना, वन्यजीव विभाग एवं पर्यावरण मंत्रालय की गाईडलाइन के अनुसार यह आवश्यक है कि उक्त व्यवसायिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना वांछनीय है साथ ही जब तक वन विभाग के सक्षम अधिकारी एवं नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उक्त परिसर को सीज कर आवश्यक निगरानी हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित किया जाना आवश्यक है तथा वन भूमि पर किये गये अनधिकृत अतिक्रमण के संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34ए के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय सहायक वन संरक्षक वन्य जीव नाहरगढ़ को पत्रावली प्रेषित करें। तथा जयपुर विकास प्राधिकरण से वापस वन विभाग का पुराना खसरा नंबर 932/1 हाल खसरा नंबर 4354, 4355, 4356 जो कि जेडीए के नाम अमलदराज है उसे वापस लिया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त कराया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय


सहायक वन संरक्षक

वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज0)

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रति

सहायक वन संरक्षक, जयपुर

क्रमांक

दिनांक

/ प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान् उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-2, जेएलएन मार्ग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि वन विभाग का पुराना खसरा नंबर 932/1 ग्राम आमेर, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर जो कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र का खसरा था, जिसका हाल खसरा नंबर 4354, 4355, 4356 जो कि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में आपके कार्यालय के नाम अमलदराज है। इस प्रकार वन विभाग के खसरे का स्थानांतरण वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है आप पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में उक्त खसरे को पुनः वन विभाग के नाम अमलदराज कराने हेतु राजस्व विभाग में प्रस्ताव प्रेषित करेंगे तथा परिसर को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे तथा आपके द्वारा की गई कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को भी प्रेषित की जावे।
2. श्रीमान् तहसीलदार आमेर को प्रेषित कर अपेक्षा की जाती है कि वन विभाग का पुराना खसरा नंबर 932/1 ग्राम आमेर, तहसील-आमेर, जिला-जयपुर जो कि नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र का खसरा था, जिसका हाल खसरा नंबर 4354, 4355, 4356 जो कि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अमलदराज हो गया है जो कि वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 20 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.2006 का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः राजस्व रिकॉर्ड को पुनः दुरुस्त कर वन विभाग के उक्त खसरा नंबरों को वन विभाग के नाम अमलदराज कराने का कष्ट करें। सम्पूर्ण कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित की जावे तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का श्रम करें।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव नाहरगढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सीज कर वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34ए के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय सहायक वन संरक्षण वन्य जीव नाहरगढ़ को 15 दिवस में प्रेषित करें। विलंब के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. क्षेत्रीय अधिकारी नॉर्थ, राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अपोजिट रोड नं.-5, वीकेआई, सीकर रोड, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. सहायक अभियंता, ई-चतुर्थ जयपुर जे.वी.वी.एन.एल. आमेर, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय के द्वारा जारी अवैध विद्युत कनेक्शन व्यावसायिक प्रतिष्ठान (राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर) आमेर रोड, जयपुर एवं उसके गोदामों का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करें एवं की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को सूचित करें।
6. वनपाल नाका काला महादेव, रैंज नाहरगढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सीज कर वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34ए के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय सहायक वन संरक्षण वन्य जीव नाहरगढ़ को 15 दिवस में प्रेषित करें। विलंब के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. मैनेजर/संचालक, राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री, आमेर, सागर रोड आमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल प्रभाव से अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के संचालन को बंद कर दें तथा आपके द्वारा किये गये अतिक्रमण को स्वतः ही हटाकर वन विभाग को समर्पण कर देवे अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सम्पूर्ण कार्यवाही 15 दिवस में सुनिश्चित करके अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को सूचित करेंगे।
8. श्रीमान् राजेन्द्र तिवाड़ी, अध्यक्ष, नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति 29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. गार्ड पत्रावली।

सहायक वन संरक्षक
वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज०)

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित
फोटो प्रती
स.तो.सू. अभियंता
सहायक वन संरक्षक विभागाध्यक्ष, जयपुर

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/

दिनांक 20.07.2023

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,


सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके

द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे।
धन्यवाद,

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष


(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 20.07.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान् सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवाड़ी

(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, मैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/

दिनांक 17.09.2023

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023 व 10.08.2023 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,


सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ

कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच में रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।
धन्यवाद,

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष



(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 17.09.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

7. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
9. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
10. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
11. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
12. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवारी

(राजेन्द्र तिवारी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, बैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/

दिनांक 23.10.2023

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।


मान्यवर महोदय,

सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरों को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच में रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरों का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।
धन्यवाद,

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष


(राजेंद्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 23.10.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवारी

(राजेन्द्र तिवारी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/

दिनांक 28.12.2023

सैंवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,


सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच में रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद,

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष


(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 28.12.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवाड़ी

(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, मैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/

दिनांक 23.02.2024

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,


सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच में रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद,

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष


(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 23.02.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवारी

(राजेन्द्र तिवारी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीवा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/

दिनांक 10.03.2024

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,


सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच में रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद,

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष


(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 10.03.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवाडी

(राजेन्द्र तिवाडी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/
04.2024

दिनांक 23.05.2024.

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,

सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।
धन्यवाद,

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवारी
(राजेन्द्र तिवारी)
नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 23.05.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवारी

(राजेन्द्र तिवारी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/
04.2024

दिनांक 11.07.2024.

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रभाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,

सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच में रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद,

संलग्न – उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष

(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 11.07.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवाड़ी

(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg.No.-COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN-8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर-302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो.-9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो.-9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो.-9887567836

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण पत्र/2024/

दिनांक 20.08.2024.

04.2024

सेवामें,

1. मैम्बर सेक्ट्री, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय वन्यजीव प्रमाग पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) अरण्य भवन झालाना डुगरी जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर (अध्यक्ष) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
5. श्रीमान आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण
6. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, जयपुर।
7. श्रीमान उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिड़ियाघर, जयपुर (सचिव) मोनिट्रिंग कमेटी नाहरगढ़ अभ्यारण्य इको सेंसटीव जोन जयपुर।
8. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर।
9. श्रीमान तहसीलदार आमेर।
10. श्रीमान सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव नाहरगढ़, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नम्बर 932/1 एवं हाल खसरा नम्बर 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति के व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024, 11.07.2024 की पालना सुनिश्चित करवाने बाबत्।

मान्यवर महोदय,


सन्दर्भित तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 द्वारा कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य जयपुर द्वारा विषयन्तर्गत प्रकरण की जांच करके एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अपनी अनुशंसा के साथ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को प्रेषित की गयी थी तथा उनके द्वारा अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में हमारी संस्था द्वारा लगाये गये सभी आरोपों का सत्यापन करने के पश्चात् प्रमाणित मानते हुए कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव चिडियाघर जयपुर को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया तथा अपने अनुशंसा भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी। उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक अतिक्रमण माना गया, तथा उक्त इंडस्ट्री को नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग भी माना गया तथा उक्त जांच रिपोर्ट में कई आशयजनक तथ्य भी प्रकाश में लाये गये जिसमें मुख्यतः वन विभाग के खसरो को भू-रूपांतरण अन्य विभागों के नाम किया जाना भी प्रमाणित पाया गया, तथा उक्त जांच में रिपोर्ट में यह तथ्य भी उल्लेखित किया गया कि वन विभाग के खसरो का भू-रूपांतरण वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन वन अधिनियमों के विरुद्ध है, तथा अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिष्ठानों को तत्काल सीज किया जावे, परंतु आज दिनांक तक भी उक्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही प्रकाश में नहीं लायी गयी इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ कार्यालय वन अतिक्रमियों से साट-गाठ रखता है, तथा उच्च कार्यालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है ऐसी स्थिति में कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाते हुए विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करे। हमारी संस्था द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024, 11.07.2024 द्वारा आपके कार्यालयों को विस्तार से अवगत करवा दिया गया था परंतु प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही में सुनिश्चित नहीं की गयी जो कि एक गंभीर जांच का विषय है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में तत्काल कार्यवाही करवाने का कष्ट करे, तथा विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे।

धन्यवाद,

संलग्न - उपरोक्तानुसार

अध्यक्ष


(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

क्रमांक एफ(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/

दिनांक 20.08.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान उपायुक्त महोदय आमेर हवामलह जोन नगर-निगम जयपुर हैरिटेज
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी आमेर
3. श्रीमान् सहायक वन संरक्षक नाहरगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना तत्काल सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे।
4. सहायक अधियन्ता ई- चतुर्थ जे.वी.वी.एन.एल जयपुर।
5. श्रीमान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

राजेन्द्र तिवारी

(राजेन्द्र तिवारी)

नाहरगढ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg. No. - COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN - 8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर - 302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो. - 9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो. - 9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो. - 9887567836

क्रमांक एफ-(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/एस. 2

दिनांक 25.10.2024

सेवामें,

1. मैम्बर सचिव, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. चैयरमेन, नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड, इन्द्रा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
3. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOOF) अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
5. श्रीमान् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. श्रीमान् आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।
7. श्रीमान् सदस्य सचिव, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, झालाना डूंगरी, जयपुर।
8. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर।
9. श्रीमान् उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नं. 932/1 एवं हाल खसरा नं. 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानिकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस

E-mail ID - edcnahargarh@gmail.com, Helpline Number - +91-9214886314

कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024, 11.07.2024, 20.08.2024 की पालना सुनिश्चित कराने बाबत।


मान्यवर महोदय,

यह कि महोदय इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024, 11.07.2024, 20.08.2024 द्वारा आप सभी के कार्यालय को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया तथा प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नाहरगढ़ अभयारण्य में संचालित गैरवानिकी गतिविधियों को लेकर आप से कई बार चर्चा भी की गयी, तथा हर बार आपके द्वारा यह आवश्वासन दिया जाता है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी और ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी के कार्यालय को वन संरक्षण को लेकर कोई विशेष रूचि नहीं है जो कि अभयारण्य हित में कर्तई नहीं है।

अतः आपसे निवेदन है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में शीघ्र एवं कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे साथ प्रकरण में विलंब करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।

धन्यवाद,

अध्यक्ष



(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति

Reg. No. - COOP/2022/JAIPUR/203739

BRN - 8005220065001036



नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं सेवा समिति



29, शंकर कॉलोनी, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर (राज.)-302003
66-ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर - 302002

अध्यक्ष
राजेन्द्र तिवाड़ी
मो. - 9214886314

मंत्री
हेमराज मीणा
मो. - 9672000092

कोषाध्यक्ष
ओमप्रकाश मीणा
मो. - 9887567836

क्रमांक एफ-(01)/शिकायत/स्मरण-पत्र/2024/एस. 2

दिनांक 08.11.2024

सेवामें,

1. मैम्बर सचिव, सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC), चाण्यक्य भवन, चाण्यक्यपुरी, नई दिल्ली।
2. चैयरमेन, नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड, इन्द्रा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
3. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOOF) अरण्य भवन, झालाना झूंगरी, जयपुर।
4. श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, अरण्य भवन, झालाना झूंगरी, जयपुर।
5. श्रीमान् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. श्रीमान् आयुक्त, नगर निगम हैरिटेज, जयपुर।
7. श्रीमान् सदस्य सचिव, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, झालाना झूंगरी, जयपुर।
8. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर।
9. श्रीमान् उप वन संरक्षक, वन्य जीव, चिड़ियाघर, जयपुर।

विषय:- नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र ग्राम मोजा आमेर के पुराना खसरा नं. 932/1 एवं हाल खसरा नं. 4354, 4355, 4356 में राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री आमेर जिला जयपुर द्वारा अवैध अतिक्रमण करके बिना वन विभाग की अनुमति व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापना करके गैरवानिकी गतिविधि करने बाबत्।

सन्दर्भ :- कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक 667 दिनांक 14.06.2023 की पालना एवं इस

E-mail ID - edcnaahargarh@gmail.com, Helpline Number - +91-9214886314

कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024, 11.07.2024, 20.08.2024, 25.10.2024 की पालना सुनिश्चित कराने बाबत।


मान्यवर महोदय,

यह कि महोदय इस कार्यालय के पत्र दिनांक 03.04.2023 व 20.07.2023, 10.08.2023, 17.09.2023, 23.10.2023, 07.11.2023, 28.12.2023, 22.01.2024, 23.02.2024, 10.03.2024, 15.04.2024, 23.05.2024, 28.06.2024, 11.07.2024, 20.08.2024 व 25.10.2024 द्वारा आप सभी के कार्यालय को कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से अवगत कराया गया तथा प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नाहरगढ़ अभयारण्य में संचालित गैरवानिकी गतिविधियों को लेकर आप से कई बार चर्चा भी की गयी, तथा हर बार आपके द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही अमल में लायी जाएगी, परंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी और ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी के कार्यालय को वन संरक्षण को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं है जो कि अभयारण्य हित में कतई सही नहीं है, तथा मजबूरन उक्त प्रकरण को माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूनल सेंट्रल जोन भोपाल के समक्ष रखने हेतु हमारी संस्था द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है, तथा उक्त प्रकरण में आप सभी के कार्यालयों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है, तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी के द्वारा अभयारण्य क्षेत्र में गैरवानिकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तथा प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात् भी उस पर कार्यवाही नहीं करना यह दर्शाता है कि इस अभयारण्य को सबसे ज्यादा नुकसान आप सभी के कार्यालय द्वारा ही पहुंचाया गया है

अतः आपसे निवेदन है कि विषयान्तर्गत प्रकरण में शीघ्र एवं कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे साथ प्रकरण में विलंब करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे।

धन्यवाद,

अध्यक्ष



(राजेन्द्र तिवाड़ी)

नाहरगढ़ वन एवं वन्यजीव,
सुरक्षा एवं सेवा समिति



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

ORIGINAL APPLICATION NO. **259** OF 2024

**RAJENDRA TIWARI
VERSUS
UNION OF INDIA AND OTHERS**

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF DOCUMENTS

I, Rajendra Tiwari son of Shri Shambhu Dayal Tiwari, aged about 45 years, resident of 100 Tiwari Bhawan Gurjar Ghati Amer Road, Jaipur (Rajasthan), do hereby take oath and state as under:-

1. That I am applicant in this case and am well conversant with the facts and circumstances of the case.
2. That annexed documents Annexure-A/1 to Annexure-A/13 are true and correct photo copies of its original/office copies, which I believed to be true and correct.

Identified by
1 @

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I, above named deponent, do hereby verify that contents of para no.1 to 2 of the above affidavit are true & correct to my personal knowledge. Nothing material has been concealed and no part of it is false. SO HELP ME GOD.

ATTESTED
12 NOV 2024
NOTARY PUBLIC JAIPUR
(RAJ.) INDIA

[Signature]
DEPONENT

GOPAL LAL GUPTA, STAMP VENDE.
Rajasthan High Court Jaipur

VAKALATNAMA

In the National Green Tribunal Central Zonal Bench Bhopal
Case Original Application No. 259 / 2024 200 (M.P.)
Rajendra Tiwari

Versus

Union of India & others

KNOW ALL MEN by these presents that I/we the undersigned Rajendra Tiwari
Shri. Shambhu dayal Tiwari, P/O - 100 Tiwari Bhaiyan
Suraj Wahi Amer Road Jaipur - 302002

in the above case do hereby make constitute and appoint

Shri Keishan Sharma, J.N. Sharma, Pawan Sharma, Vaibhav
Pancholy, Adv. (Ch. No. 178 Old building Raj. High Court
Jaipur)

my/our true and lawful attorneys, for me/us in my/our name, and on my/our behalf to appear and act in the said case, and more particularly to draw, make, present, withdraw, amend, represent and verify petition, plaints or written statements and to make, present applications or petitions in the court, to present, with draw and receive documents and any money from the Court or from the opposite party either in execution of the decree or otherwise, and on receipt of payment thereof to sign and deliver for me/ us proper receipts and discharges for the same, to compromise or to refer the case to arbitration, to seek execution of the decree or any orders in the case, to draw, make present, withdraw, amend and represent any memorandum of appeal or cross objections in any appeal arising or to seek reviews or revision and reviews and to do all other lawful acts and things as effectually as I/we could do the same whether being personally present or otherwise, My/our said counsel to appear, plead and act with or for him/them in his/their absence or otherwise as my/our said counsel may think proper to do so, all acts of such counsel or counsels shall be equally and similarly binding on me/us as if done be my/our said counsel and as if done by me/us personally.

I/we hereby agree that if any part of the said counsel's fee remains unpaid before the first hearing of the case, or if any hearing of the case be fixed on tour or at any other place except the usual court premises, then my /our said counsel will not be bound to appear before the Court. The counsel's fee now settled and agreed to is in respect of this Court and for the pending proceedings only. Any fresh action hereafter taken will entitle the counsel to fresh fees. I/we also agree that if the case be dismissed in default or if it be proceeded ex-parte under any circumstances whatsoever the said counsel shall not be held responsible for the same and all whatsoever my/our said counsel shall do in connection with the said case, I/we do hereby agree to ratify and confirm. Any costs awarded in the case at any time in my/our favour shall form part of the counsel's claim and shall be payable to him/them in addition to his/their fees in the case. (Mob. 8890326517)

(Vaibhav Pancholy @ gmail . com)

IN WITNESS WHEREOF I/we have here to set my/our hand(s) at _____

this _____ days of _____ and delivered to the said counsel (s)

Accepted

Idm R/895/2000
Jagdish R/107/1967
U
RT15/23
Pann R/3864/19

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____